अध्ययन प्रतिवेदन

श्रम विभाग की बंधक श्रमिक उन्मूलन योजना का मूल्यांकन अध्ययन

वर्ष 2018

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल
(मध्यप्रदेश शासन की स्वशासी संस्था)

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान

श्रम विभाग की बंधक श्रमिक उन्मूलन योजना का मूल्यांकन अध्ययन

अध्ययन प्रतिवेदन

वर्ष 2018

अध्ययन कार्यदल

मार्गदर्शक

श्री अखिलेश अर्गल, संचालक

श्री अमिताभ भटनागर, प्रमुख सलाहकार (ज्ञान प्रबंधन)

अध्ययनकर्ता

श्री सौरभ बन्सल, सलाहकार (ज्ञान प्रबंधन)

श्रीमति जया कोष्टा, उप सलाहकार (ज्ञान प्रबंधन)

डाटा विश्लेषक एवं डाटा एन्ट्री आपॅरेटर

श्री दीपक भट्ट, डाटा विश्लेषक

श्री दीपक बाथम, सहायक

श्रम विभाग की बंधक श्रमिक उन्मूलन योजना का मूल्यांकन अध्ययन

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
	अनुक्रमणिका	i
	प्रस्तावना	v
	अध्ययन सारांश	vi
	अध्याय – 1	
1	अध्ययन की पृष्ठभूमि	1
	1.1 योजना की पृष्ठभूमि	1
	1.2 योजना एक नजर में	2
	1.3 योजना के उद्देश्य	6
	1.4 मूल्यांकन की आवश्यकता	6
	1.5 अध्ययन के उद्देश्य	6
	अध्याय – 2	
2	अध्ययन की कार्यविधि	7
	2.1 अनुसंधान रूपरेखा	7
	2.2 अध्ययन हेतु Sample Size	7
	2.3 साक्षात्कार अनुसूचियों का निर्माण	8
	2.4 क्षेत्र अन्वेषकों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम	9
	2.5 आँकड़ों का संग्रहण, परीक्षण एवं कम्प्यूटरीकरण	10
	2.6 संख्यात्मक आँकड़ों का विश्लेषण	10
	2.7 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	10
	अध्याय – 3	
3	आँकड़ों का विश्लेषण	11
	3.1 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति	11
	3.1.1 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की बंधक अवस्था की स्थिति	11

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
	3.1.2 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों का लिंगानुपात	12
	3.1.3 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की आयु का वर्गीकरण	12
	3.1.4 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों का जातिगत वर्गीकरण	13
	3.1.5 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की शारीरिक विकलांगता की स्थिति	13
	3.1.6 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की शैक्षणिक योग्यता	14
	3.1.7 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की वैवाहिक स्थिति	14
	3.1.8 बंधक श्रमिक होने के कारणों की स्थिति	15
	3.1.9 नगद ऋण लेने के कारणों एवं नगद राशि की स्थिति	15
	3.1.10 बंधक श्रमिक अवधि में किये गये कार्य	16
	3.1.11 बंधक श्रमिक होने की समयावधि	17
	3.1.12 बंधक श्रमिक प्रथा के बारे में जागरूकता की स्थिति	17
	3.2 बंधक श्रमिकों के चिन्हाकंन प्रक्रिया की स्थिति	18
	3.2.1 बंधक श्रमिकों के प्रकरण पाये जाने के कारणों का विवरण	18
	3.2.2 बंधक श्रमिकों के कार्यस्थल का विवरण	18
	3.2.3 बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन हेतु जानकारी प्राप्त होने का विवरण	19
	3.2.4 चिन्हांकन हेतु सर्वे किये जाने की स्थिति	19
	3.2.5 चिन्हांकन हेतु समस्याओं का विवरण	20
	3.3 बंधक श्रमिकों की विमुक्ति प्रक्रिया की स्थिति	20
	3.3.1 बंधक श्रमिकों के विमुक्ति हेतु मदद् का विवरण	20
	3.3.2 विमुक्ति हेतु समस्याओं का विवरण	21
	3.3.3 विमुक्ति उपरांत तत्काल राहत हेतु सहायता का विवरण	21
	3.4 बंधक श्रमिकों के पुनर्वास प्रक्रिया की स्थिति	22
	3.4.1 बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु प्राप्त शासकीय मदद् का विवरण	22
	3.4.2 विमुक्त बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सहायता का विवरण	22
	3.4.3 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों को शासन की योजनाओं हेतु जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का विवरण	23
	3.4.4 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु आ रहीं समस्याओं का विवरण	23

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
	3.5 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के वर्तमान की स्थिति	24
	3.5.1 पुनर्वास पश्चात् बंधक श्रमिकों के जीवनयापन के स्त्रोत का विवरण	24
	3.5.2 पुनर्वास पश्चात् स्वयं के आवास की स्थिति	24
	3.5.3 पुनर्वास पश्चात् समस्याओं का विवरण	25
	3.6 सतर्कता समितियों के कार्यो का विवरण	25
	3.6.1 जिले में सतर्कता समितियों के गठन की स्थिति	25
	3.6.2 सतर्कता समितियों की नियमित बैठकों की स्थिति	26
	3.6.3 सतर्कता समिति की बैठकों मे सदस्यों की भागीदारी की स्थिति	26
	3.6.4 सतर्कता समितियों द्वारा किये गये कार्यो का विवरण	27
	3.7 कोर्ट प्रकरणों की स्थिति	27
	3.7.1 बंधक श्रमिकों के नियोजकों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण	27
	3.8 बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु प्रयास	28
	3.8.1 बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की स्थिति	28
	3.8.2 बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु किये गये प्रयासों की स्थिति	28
	3.9 शासन द्वारा विमुक्ति एवं पुनर्वास के प्रयासों से संतुष्टी की स्थिति	29
	3.9.1 शासन द्वारा विमुक्ति एवं पुनर्वास के प्रयासों से संतुष्टी की स्थिति	29
	अध्याय – 4	
4	निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	30
	4.1 निष्कर्ष	30
	4.1.1 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति	30
	4.1.2 बंधक श्रमिकों की चिन्हांकन प्रक्रिया	31
	4.1.3 बंधक श्रमिकों की नियोजकों से विमुक्ति प्रक्रिया	31
	4.1.4 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की पुनर्वास प्रक्रिया	32
	4.1.5 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की वर्तमान स्थिति	33
	4.1.6 सर्तकता समितियों का गठन एवं उनके कार्यो की स्थिति	33
	4.1.7 बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु प्रयास	34
	4.1.8 शासन द्वारा विमुक्ति एवं पुनर्वास के प्रयासों से संतुष्टी	34

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
	4.2 अनुशंसाएं	35
	4.2.1 बंधक श्रमिकों की चिन्हांकन प्रक्रिया के संदर्भ में	35
	4.2.2 बंधक श्रमिकों की नियोजकों से विमुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में	36
	4.2.3 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के पुनर्वास की सुदृढ़ व्यवस्था	36
	4.2.4 सर्तकता समितियों का गठन एवं उनके कार्यो के संदर्भ में	37
	4.2.5 योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव	38
	परिशिष्ट – 1	
	अध्ययन से संबंधित परिणाम तालिकाएं	41
	परिशिष्ट – 2	
	अध्ययन से संबंधित फोटोग्राफ	48

प्रस्तावना

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के मुख्य उद्धेश्यों में शासकीय योजनाओं/परियोजनाओं का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव का आंकलन करना है। इस उद्धेश्य के परिपालन मे संस्थान के कोर स्टॉफ एवं अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा संबंधित प्रभाव आंकलन अध्ययन समय–समय पर किये जा रहे हैं। यह प्रभाव आंकलन अध्ययन हितग्राहियों के मत, योजना के प्रति उनकी अपेक्षाओं एवं क्रियान्वयन से जुडे अधिकारियों एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त सुझावों के विश्लेषण पर आधारित होते है।

इसी क्रम में **''श्रम विभाग की बंधक श्रमिक उन्मूलन योजना का मूल्यांकन अध्ययन''** प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके लिए श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा संस्थान से अनुरोध किया गया था। इस प्रभाव आंकलन अध्ययन हेतु संस्थान के श्री सौरभ बंसल, सलाहकार एवं श्रीमति जया कोष्टा, उप सलाहकार, ज्ञान प्रबंधन केन्द्र के सफल प्रयासों की हम सराहना करते हैं।

हमें आशा है कि प्रस्तुत प्रभाव आंकलन अध्ययन **बंधक श्रमिक उन्मूलन योजना** की वर्तमान स्थिति, क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों तथा उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की अपेक्षाओं से अवगत होकर बेहतर व्यवस्था स्थापित करने में सहायक होगा।

(संचालक)
अटल बिहारी वाजपेयी
सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान

दिनांक: 03 नवम्बर, 2018

अध्ययन सारांश

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23(1) के द्वारा देश में बंधुआ मजदूरी कराना वर्जित है। वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है या सेवाएं देता है, बंधक श्रमिक कहलाता है। दबाव डालकर, ऋण समाप्त करने के लिये उधार/अग्रिम पैसा देकर, किसी अनुचित अनुबंध या सामाजिक रीति रिवाज के अन्तर्गत बलपूर्वक या अन्य किसी दबाव में कार्य कराया जाना बंधक श्रम प्रथा अंतर्गत आते हैं। बंधक श्रमिक की समस्या सीधे व्यक्ति के शोषण से जुडी है। गरीबी, बेरोजगारी, अपर्याप्त आय, जानकारी का अभाव, अशिक्षा, निर्बल वर्ग की ऋणग्रस्तता, पूर्वजों द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान आदि बंधक श्रमिक होने के मुख्य कारण है। बंधक श्रमिक की समस्या के निराकरण के लिये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976** बनाये गये हैं। अधिनियम का लक्ष्य देश में बंधुआ श्रम पद्धति की समाप्ति, प्रत्येक बंधक श्रमिक बंधन मुक्त हो तथा उसे बंधुआ श्रम अदायगी से मुक्ति मिलना है। बंधक श्रमिकों के पुनर्वास को अधिक सक्षम तथा प्रभावकारी बनाने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **केन्द्रीय बंधक श्रम पुनर्वास योजना, 2016** प्रारम्भ की गई है। अधिनियम की धारा–22 के अनुसार बंधक श्रमिकों से सम्बंधित किया गया कोई भी अपराध संज्ञेय अपराध (Cognizable offence) की श्रेणी मे आता है। अतः बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 का क्रियान्वयन जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक का आज्ञापक कर्तव्य (Mandatory Duty) है। अधिनियम के अंतर्गत उन्मुक्त बंधक श्रमिक के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास का दायित्व जिला प्रशासन पर है। बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा–13 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों मे ''**जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समितियों**'' का गठन अनिवार्य है।

श्रम विभाग से प्राप्त ऑकडों के आधार पर मध्यप्रदेश में बंधक श्रम प्रथा अभी भी प्रचलित है। प्रदेश में विगत 10 वर्षों मे बंधुआ मजदूरी से विमुक्ति के औसतन 30 प्रकरण प्रति वर्ष पंजीबद्ध किये गये है। सर्वे अथवा शिकायत की गोपनीय जाँच के दौरान चिन्हित किये गये बंधक श्रमिक को उन्मुक्त कराया जाता है। गोपनीय जाँच के दौरान आये सभी साक्ष्यों का पूर्ण विश्लेषण एवं विवेचना कर विमुक्ति प्रमाण–पत्र जारी कर पुनर्वास की कार्यवाही की जाती है।

अध्ययन के उद्देश्य: बंधक श्रमिक होने के कारणों को ज्ञात करना, बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन एवं विमुक्तिकरण में आ रही समस्याओं को ज्ञात करना, पुनर्वासित बंधक श्रमिक की वर्तमान स्थिति का अध्ययन तथा बंधक श्रमिकों को समाज की मुख्य धारा से जोडना में राज्य सरकार, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त सहायता का ऑकलन करना है।

बंधक श्रमिक उन्मूलन योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं एवं इस संबंध में नई संभावनाओं का अध्ययन करने हेतु जानकारी एकत्रित की गई। चिन्हित जिलों के लाभान्वित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों, क्रियान्वयन की विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों जैसे– श्रम विभाग के अधिकारियों, जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्थित सतर्कता समितियों के सदस्यों तथा संबंधित संस्थाओं जैसे मानव अधिकार आयोग एवं गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों से साक्षात्कार अनुसूचियों, लक्षित समूह चर्चा, दूरभाष चर्चा तथा द्वितीयक आंकड़ों की सहायता से छः जिलों (सागर, बुरहानपुर, गुना, मंडला, छतरपुर एवं मुरैना) से कुल 138 विभिन्न हितग्राहियों से जानकारी एकत्र की गई। चयनित जिलों में क्षेत्र अन्वेषकों ने ''ई–संचय'' मोबाईल एप के माध्यम से साक्षात्कार अनुसूचियों अनुसार संख्यात्मक आँकड़े एकत्रित किये। अध्ययन के दौरान प्राप्त संख्यात्मक आँकड़ों का आवृत्ति, प्रतिशत एवं औसत के आधार पर विश्लेषण किया गया।

अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर ''**बंधक श्रमिक उन्मूलन योजना**'' के विभिन्न पहलुओं पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है। बंधक श्रमिक प्रथा न सिर्फ गम्भीर है बल्कि इसकी जड़ें समाज की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में गहराई में विद्यमान हैं, इस कारण इसके समाधान के लिये केवल एक दृष्टिकोण से सोचना अपर्याप्त होगा। चूंकि इस समस्या का कारण अनेक सामाजिक समस्यायें हैं अतः इसके समाधान के लिये विस्तृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बंधक श्रम समस्या के स्थाई समाधान के लिये अध्ययन अंतर्गत निष्कर्षो के अनुरूप निम्नलिखित प्रमुख अनुशंसाएं हैं:

अध्ययन अनुसार बंधक श्रमिक महिलाओं एवं परिवार के साथ बंधक अवस्था में थे, अतः शासन द्वारा बंधक श्रमिक होने से रोकने के लिए उनके परिवार के लिए रोजगार एवं आजीविका चलाने हेतु कौशल विकास की योजना का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि कुछ बंधक श्रमिकों द्वारा नगद ऋण भी लिया गया है, अतः शासन द्वारा स्थानीय स्तर पर ग्रामीण बैकों और सहकारी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय मदद की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन हेतु निरंतर सर्वे किये जाने का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। जिले मे स्थित गैर सरकारी संगठनों एवं सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भी बताया गया है कि बंधक श्रमिकों का उचित चिन्हांकन नही हो रहा है अतः शासन द्वारा जिला एवं समस्त उपखण्ड स्तर पर सघन एवं प्रभावी सर्वे की सुनिश्चित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। व्यापक पैमाने पर सर्वे किया जाने एवं प्राप्त शिकायत की गोपनीय और गहन जांच किये जाने हेतु जिला स्तर पर श्रम विभाग अंतर्गत वाहन की व्यवस्था किये जाने की भी आवश्यकता है जिससे सर्वे मे संदिग्ध परिस्थितियों का सामना किया जा सके।

अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि अधिकांश उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के अनुसार पुनर्वास पश्चात् जीवनयापन का मुख्य स्त्रोत मजदूरी ही है अतः शासन द्वारा उनके जीवनयापन के स्थाई एवं नियमित स्त्रोत जैसे– व्यवसाय, पशुपालन, रोजगार, आदि की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है साथ ही साथ कल्याणकारी एवं रोजगार मूलक योजनायें जैसे– संबल योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत पटट्ा दिया जाना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आदि का लाभ प्राप्त कराया जाये। उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की कार्य क्षमता अनुसार स्वरोजगार के लिए उनके कौशल विकास हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनको आत्मनिर्भर बनाया जाने की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु श्रम विभाग के विभागीय बजट में राशि का प्रावधान तथा रोजगार हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण को प्रभावी पुनर्वास अंतर्गत अनिवार्य किये जाने की आवश्यकता है। उन्मुक्त बंधक श्रमिकों को सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ''प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना'' के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान भी किये जाने की आवश्यकता है।

अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि जिलों में जिला स्तरीय तथा समस्त उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों के गठन की संख्या कम है। शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाए की प्रदेश के समस्त जिलों मे जिला स्तरीय तथा समस्त उपखण्ड स्तरीय सर्तकता समितियाँ अनिवार्य रूप से गठित की जाए। अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि जिलों में सतर्कता समितियों की बैठकें अनियमित हैं। प्रदेश के जिले जहॉ बधंक श्रमिकों की संख्या अधिक है, वहॉ जिला स्तरीय तथा समस्त उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों को सक्रिय कर हर तीन माह में समिति की बैठक का आयोजन सुनिश्चित किया जावे। अध्ययन के परिणाम दर्शाते है कि बंधक श्रमिकों के नियोजकों के विरूद्व न्यायालय में प्रकरण दायर किये जाने मे देरी हो रही है। शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों मे नियोजकों के विरूद्व तत्काल न्यायालय में प्रकरण दायर कर प्रकरण का निरंतर फोलोअप सुनिश्चित किया जावे। इन प्रकरणों के शीघ्र–अति–शीघ्र निराकरण करने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।

स्थानीय स्तर पर बारह महीने रोजगार मिलना मुश्किल होता है, इसलिये श्रमिक रोजगार के लिये पलायन करते हैं एवं गंभीर परिस्थितियों में फंस जाते हैं अतः ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों के पलायन को रोकने एवं रोजगार की निरन्तरता बनाए जाने हेतु स्थानीय स्तर पर आजीविका के लिए स्वरोजगार की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। कृषि आधारित कुटीर उद्योग अथवा लघु वन–उपज कार्य द्वारा स्वरोजगार की व्यवस्था भी की जा सकती है। अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि उन्मुक्त बंधक श्रमिकों को ''बंधक श्रमिक प्रथा'' के बारे में जानकारी का अभाव है तथा प्रदेश में विगत वर्षों में भी बंधक श्रमिक पाये गये हैं, अतः शासन द्वारा बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु सार्थक प्रयासों के अन्तर्गत जन–जागरण हेतु सघन जागरूकता अभियान चलाया जाना एवं पैम्पलेट, पोस्टर, वॉल कलेण्डर आदि द्वारा प्रचार–प्रसार किया जाने की प्रमुखता से आवश्यकता है। जन–जागरण हेतु जिले के गैर सरकारी संगठनों, सक्रिय सामाजिक

कार्यकर्ताओं तथा मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रदेश के हर जिले में बनाये गये ''आयोग मित्र'' का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में रेडियो जिंगल का निर्माण कर विविध भारती एवं आकाशवाणी के प्रायमरी चेनलों पर प्रसारण कराये जाने की आवश्यकता है।

उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के प्रभावी पुनर्वास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में विकासखण्ड़ संसाधन केंन्द्रों अथवा सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में स्थानीय स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न किये जाने हेतु व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। बंधक श्रमिक उन्मूलन योजना के विभिन्न पहलूओं पर संवेदीकरण (Sensitization) हेतु राज्य के विभिन्न संवेदनशील जिलों की सतर्कता समितियों के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों एवं सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष कार्यशाला का आयोजन किये जाने की आवश्यकता है। बंधक श्रमिकों के पुनर्वास की अवधी अधिक होने पर उनके पुनः बंधक श्रमिक बनने की सम्भावना रहती है अतः राज्य शासन को शीघ्र–अति–शीघ्र तय समय–सीमा में पुनर्वास के प्रभावी कार्यवाही किये जाने की नितांत आवश्यकता है। श्रम विभाग द्वारा ''मध्यप्रदेश **लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम**, **2010**'' अंतर्गत ''उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सुनिश्चित रोजगार'' निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराया जाना शामिल किया जावे। संवेदनशील जिलों मे बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, उनकी विमुक्ति एवं पुनर्वास तथा नियोजकों के विरूद्ध न्यायालय प्रकरण से सम्बंधित बिंदुओं को कलेक्टर द्वारा आयोजित मासिक समिक्षा बैठकों की कार्यसूची में शामिल किया जावे। जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों मे बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, उनकी विमुक्ति एवं पुनर्वास के विषय को अनिर्वाय रूप से शामिल किये जाने की आवश्यकता है। उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के प्रभावी पुनर्वास हेतु केन्द्रिय एवं राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न गरीबी हटाओ योजनाओं (Poverty Alleviation Schemes) का एकीकरण (Integration) ''बंधक श्रमिक उन्मुक्त योजना'' के साथ किये जाने की आवश्यकता है।

अध्याय – 1

अध्ययन की पृष्ठभूमि

1.1 योजना की पृष्ठभूमि :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23(1) के द्वारा देश में बंधुआ मजदूरी कराना वर्जित है। वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है या सेवाएं देता है, बंधक श्रमिक कहलाता है। बंधक श्रमिक की समस्या सीधे व्यक्ति के शोषण से जुडी है। ऋण बंधन, अर्थात् अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के देनदार या उनके नियंत्रण में ऋण चुकाने के लिए सुरक्षा के रूप में किसी व्यक्ति से सेवाएं ली जाएं तथा श्रम कानूनों में अंकित मूल्य के प्रतिकूल उन सेवाओं का भुगतान नहीं किया जाये या ऋण की परिसमापन या उन सेवाओं की अवधी और प्रकृति सीमित और परिभाषित न हो, बंधक श्रमिक कहलाता है। गरीबी, बेरोजगारी, अपर्याप्त आय, जानकारी का अभाव, अशिक्षा, निर्बल वर्ग की ऋणग्रस्तता, पूर्वजों द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान आदि बंधक श्रमिक होने के मुख्य कारण है। निर्धन परिवारों के सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का अभाव है जो बंधक श्रमिक समस्या को बढ़ाने का भी एक कारण है।

दबाव डालकर, ऋण समाप्त करने के लिये उधार/अग्रिम पैसा देकर, किसी अनुचित अनुबंध या सामाजिक रीति रिवाज के अन्तर्गत बलपूर्वक या अन्य किसी दबाव में कार्य कराया जाना बंधक श्रम प्रथा अंतर्गत आते हैं। बंधक श्रमिक नियोजित करने वाले संभावित स्थल– ईट भट्टा, खदान, स्टोन क्रशर, निर्माण कार्य, कृषि मजदूरी, चूना भट्टा, होटल/ढाबा आदि हैं। जनता के दुर्बल वर्गों के आर्थिक और शारीरिक शोषण का निवारण करने के उद्देश्य से बंधित श्रम पद्धति के उत्पादन का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगित विषयों का उपबन्ध करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियम बनाया गया है। बंधक श्रमिक की समस्या के निराकरण के लिये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 एवं बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम, 1976** बनाये गये हैं। अधिनियम का लक्ष्य देश में बंधुआ श्रम पद्धति की समाप्ति, प्रत्येक बंधक श्रमिक बंधन मुक्त हो तथा उसे बंधुआ श्रम अदायगी से मुक्ति मिलना है। इस अधिनियम के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को बंधुआ श्रम अपराध विचारण हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियॉ प्रदान की गई हैं।

बंधक श्रमिकों के पुनर्वास को अधिक सक्षम तथा प्रभावकारी बनाने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **केन्द्रीय बंधक श्रम पुनर्वास योजना, 2016** प्रारम्भ की

गई है। इसके तहत बंधक श्रमिक उन्मूलन योजना को केन्द्रीय योजना में परिवर्तित करते हुए इसके तहत मिलने वाले लाभों में वृद्धि की गई है।

1.2 योजना एक नजर में :

मध्यप्रदेश शासन द्वारा बंधक श्रम उन्मूलन एवं उन्मुक्त बंधक श्रमिक के पुनर्वास के लिये बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 का क्रियान्वयन प्रदेश में किया जा रहा है। श्रम विभाग, म.प्र. शासन बंधक श्रमिकों की पहचान, उनकी विमुक्ति एवं पुनर्वास के लिये प्रयासरत है। अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के कर्तव्य निर्धारित है। अधिनियम की धारा–21 के अंतर्गत बंधक श्रमिकों से सम्बंधित किये गये अपराधों का विचारण करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट (जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट) द्वारा जॉच की व्यवस्था है। अधिनियम की धारा–22 के अनुसार बंधक श्रमिकों से सम्बंधित किया गया कोई भी अपराध संज्ञेय अपराध (Cognizable offence) की श्रेणी मे आता है अतः बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 का क्रियान्वयन जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक का आज्ञापक कर्तव्य (Mandatory Duty) है। जिला प्रशासन से समन्वय हेतु प्रत्येक जिले के श्रम निरीक्षक को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन हेतु विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से ईट भट्टा, खदान, स्टोन क्रशर, निर्माण कार्य, कृषि मजदूरी, चूना भट्टा, होटल/ढाबे आदि की विशेष निगरानी व्यवस्था हेतु सर्वे की आवश्यकता होती है क्योकि अधिनियम के प्रभावी होने से अब तक मुख्य रूप से ईट भट्टा, खदान, निर्माण कार्य, कृषि मजदूरी, चूना भट्टा एवं होटल/ढाबे में बंधक श्रमिक चिन्हित किये गये हैं। प्रदेश के प्रत्येक संवेदनशील जिले में तीन वर्ष मे एक बार सर्वे किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा राशि प्रदान की जाती है। सर्वे अथवा शिकायत की जाँच के दौरान चिन्हित किये गये बंधक श्रमिक को उन्मुक्त कराया जाता है।

गोपनीय जाँच के दौरान आये सभी साक्ष्यों का पूर्ण विश्लेषण एवं विवेचना कर विमुक्ति प्रमाण–पत्र जारी कर पुनर्वास की कार्यवाही की जाती है।

विमुक्त कराये गये बंधक श्रमिकों का तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण कर तदानुसार चिकित्सा प्रमाण–पत्र जारी किया जाकर उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर आश्रय तथा आवश्यकतानुसार पुलिस अभिरक्षा प्रदान की जाती है। तदोपरांन्त उन्हें उनके निवास स्थान पर भेजने की व्यवस्था की जाती है।

अधिनियम के अंतर्गत उन्मुक्त बंधक श्रमिक के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास का दायित्व जिला प्रशासन पर है। सर्वप्रथम उनके रोजगार की व्यवस्था की जाती है, जिससे

उनकी आजीविका सुगमता से चल सके। उनके पूरे परिवार के स्वास्थ्य, आवास, बच्चों के स्कूल आदि संबंधी सुविधाओं का लाभ दिलाया जाता है।

केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान में बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम अंतर्गत केन्द्रिय बंधक श्रम पुनर्वास योजना, 2016 लागू की गई है, जिसके तहत विमुक्त कराये गये श्रमिकों को जीवन निर्वाह के लिए तत्कालिक सहायता राशि रु. 20,000/- प्रदान की जाती है। बंधक श्रमिकों के पुनर्वास के लिए पुरूष वयस्क हितग्राहियों हेतु राशि रु. 1.00 लाख, बालक एवं महिला हितग्राहियों के लिए राशि रु. 2.00 लाख तथा गंभीर शोषण के प्रकरणों में दिव्यांगों, महिलाओं एवं बालकों के लिए राशि रु. 3.00 लाख प्रावधानित हैं। शासन के विभिन्न विभागों जैसे- श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग, आदिम जाति/जनजाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग आदि की कल्याणकारी हितग्राहीमूलक योजनाओं से पात्रता अनुसार उन्मुक्त बंधक श्रमिकों (विमुक्त कराये गये अथवा अन्य प्रदेशो से विमुक्त होकर आये) को लाभांवित कराया जाता है। शासन द्वारा प्रत्येक जिले में बंधक श्रम पुनर्वास निधि नाम से कॉर्पस फंड हेतु राशि का प्रावधान भी किया गया है।

मध्यप्रदेश में बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, उनकी विमुक्ति एवं पुनर्वास के संबंध में राज्य स्तरीय समीक्षा एवं समन्वय समिति गठित है। **बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976** की धारा-13 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों मे ''**जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समितियों**'' का गठन अनिवार्य है। कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में ''**जिला स्तरीय सतर्कता समिति**'' गठित होती हैं। इसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य, दो सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता/ गैर सरकारी संगठनों तथा वित्तीय संस्था के अधिकारी सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित तीन अधिकारी भी सदस्य होते हैं। भारत सरकार द्वारा इन समितियों में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। ''**उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति**'' उपखण्डीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होती है। अधिनियम के अंतर्गत गठित सतर्कता समिति की बैठक त्रैमासिक किये जाने तथा प्रत्येक दो वर्ष में गठित समितियों के पुनर्गठन का प्रावधान है। बंधक श्रमिक कार्यरत होने संबंधी शिकायत जिला कलेक्टर/एस.डी.एम. या अन्य स्त्रोत से प्राप्त होने पर सतर्कता समिति द्वारा शिकायत की जाँच गोपनीय तरीके से की जाकर बंधक श्रामिकों के विमुक्ति की कार्यवाही की जाती है।

जिला/ उपखण्डीय सतर्कता समितियों के द्वारा बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, उनकी विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं:–

1. जिला/ उपखण्डीय मजिस्ट्रेट को परामर्श देना,
2. बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन हेतु नियमित सर्वे कराया जाना,
3. प्राप्त शिकायत की जाँच गोपनीय तरीके से कराई जाना,
4. विमुक्त बंधक श्रमिकों के आर्थिक पुनर्वास अन्तर्गत ग्रामीण बैंकों और सहकारी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय मदद प्राप्त करवाना,
5. विमुक्त बंधक श्रमिकों के सामाजिक पुनर्वास अन्तर्गत हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ प्राप्त करवाना,
6. विमुक्त बंधक श्रमिकों को रोजगारमूलक योजनाओं का लाभ प्राप्त करवाना एवं
7. विमुक्त बंधक श्रमिकों के नियोक्ताओं को दण्डित किये जाने हेतु कोर्ट प्रकरण की प्रतिरक्षा (Defend) तथा निगरानी करना है।

अधिनियम के अंतर्गत बंधक श्रमिक के नियोक्ता को दंडित किये जाने हेतु तीन वर्ष का कारावास एवं रूपये दो हजार का अर्थदण्ड लगाये जाने का प्रावधान है। विमुक्त कराये गये बंधक श्रमिकों के नियोक्ता के विरूद्ध पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाकर अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज किये जाते हैं। कई मामलों में अ.जा./अ.ज.जा. अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ भी लगाई जाती हैं।

श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2017 में बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, विमुक्ति एवं पुनर्वास के प्रभावशाली पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु **"लिबर्टी पोर्टल"** (**LIBERTY**- Online Bonded ***L***abour ***I***dentification, Reha***B***ilitation, Tracking & ***ER***adica***T***ion S***Y***stem) **(ऑनलाइन बंधक श्रमिक पहचान, पुनर्वास, ट्रैकिंग और उन्मूलन प्रणाली)** प्रारंभ किया गया है। **लिबर्टी पोर्टल** (श्रम सेवा पोर्टल पर उपलब्ध) के माध्यम से कोई भी नागरिक बंधक श्रमिक नियोजन की शिकायत कर सकता है। बंधक श्रमिक ज्ञात हाने/दिखने पर श्रम सेवा मोबाइल एप के माध्यम से अथवा लिबर्टी पोर्टल के माध्यम से जानकारी/ शिकायत दर्ज की जा सकती है।

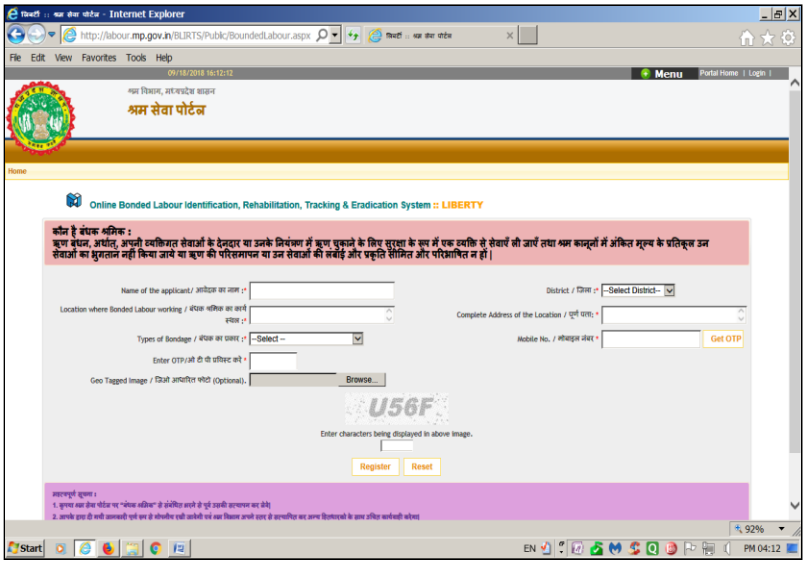

लिबर्टी पोर्टल

श्रम सेवा मोबाइल एप

शिकायतकर्ता की जानकारी पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाती है। शिकायतकर्ता द्वारा मोबाइल नंबर दर्ज कर पोर्टल द्वारा वन–टाइम–पासवर्ड (OTP) प्रेषित किया जाता है तद्उपरांत पोर्टल पर शिकायत दर्ज हो जाती है। पोर्टल द्वारा जारी शिकायत नंबर से भविष्य में कभी भी प्रकरण की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा उन्मुक्त बंधक श्रमिक से संबंधित पूर्ण प्रकरण की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाती है।

श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त आकडों के आधार पर मध्यप्रदेश में विगत 8 वर्षों मे बंधक श्रम प्रथा की दृष्टि से जिलों की स्थिति निम्नानुसार है:–

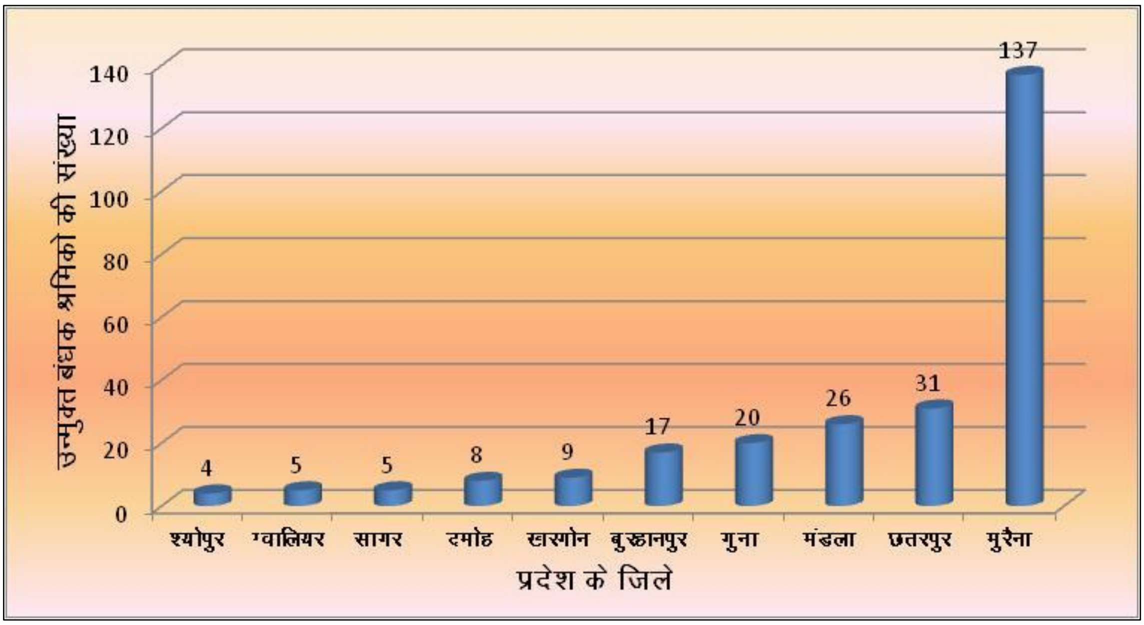

बार चित्रण क्रमांक 1.1 बंधक श्रम प्रथा की दृष्टि से मध्यप्रदेश के जिलों की स्थिति

श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त आकडों के आधार पर मध्यप्रदेश में विगत 8 वर्षों मे उन्मुक्त बंधक श्रमिकों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:–

बार चित्रण क्रमांक 1.2 मध्यप्रदेश में उन्मुक्त बंधक श्रमिकों का संख्यात्मक विवरण

1.3 योजना के उद्देश्य :

- बंधक श्रमिकों का चिन्हांकन एवं विमुक्ति,
- विमुक्त कराये गये बंधक श्रमिकों का पुनर्वास एवं
- विमुक्त बंधक श्रमिकों को शासन की हितग्राही एवं रोजगार मूलक योजनाओं का लाभ प्राप्त कराना।

1.4 मूल्यांकन की आवश्यकता :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23(1) के अनुसार देश में बंधुआ मजदूरी कराना वर्जित है। जबकि श्रम विभाग से प्राप्त ऑकडों के आधार पर मध्यप्रदेश में बंधक श्रम प्रथा अभी भी प्रचलित है। प्रदेश में विगत 10 वर्षों मे बंधुआ मजदूरी से विमुक्ति के औसतन 30 प्रकरण प्रति वर्ष पंजीबद्ध किये गये है। प्रदेश की स्थिति को देखते हुए जिलों में **बंधक श्रमिक उन्मूलन योजना** में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ती हेतु अध्ययन की आवश्यकता है। प्रदेश में बंधक श्रमिक की पहचान, उनकी विमुक्ति तथा पुनर्वास से संबंधित समस्याओं का ऑकलन भी किया जाना आवश्यक है। अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रदेश में क्रियांवित बंधक श्रमिक उन्मूलन प्रणाली का मूल्यांकन तथा विमुक्त कराये गये बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु किए गए प्रयासों का अध्ययन किया जाना है। यह जानने की भी आवश्यकता है कि योजना के सफलतापूर्वक संचालन के संबंध में लाभान्वित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों, संबंधित अधिकारियों एवं स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की सोच क्या है। जिन उद्देश्यों को लेकर योजना चलाई जा रही है, उनकी पूर्ति हो पा रही है अथवा नहीं? योजना सफलतापूर्वक संचालित करने में क्या–क्या मैदानी समस्याए आ रही हैं, उनका पता लगाया जाए ताकि योजना को संपूर्ण प्रदेश में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके। अध्ययन की बाध्यताओं को देखते हुए बंधक श्रमिक के अन्य स्वरूपों जैसे– किसी गिरोह द्वारा संगठित तरीके से भीख मंगवाया जाना, बालश्रम, मानव तस्करी आदि को सम्मिलित नही किया गया है।

1.5 अध्ययन के उद्देश्य :

1. बंधक श्रमिक होने के कारणों को ज्ञात करना,
2. बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन एवं विमुक्तिकरण में आ रही समस्याओं को ज्ञात करना,
3. पुनर्वासित बंधक श्रमिक की वर्तमान स्थिति का अध्ययन तथा
4. बंधक श्रमिकों के जीवन में सुधार लाने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोडने में राज्य सरकार, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त सहायता का ऑकलन करना है।

अध्याय – 2

अध्ययन की कार्यविधि

2.1 अनुसंधान रूपरेखा :

बंधक श्रमिक उन्मूलन योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं एवं इस संबंध में नई संभावनाओं का अध्ययन करने हेतु क्रियान्वयन की विभिन्न एजेंसियो के अधिकारियों से विभिन्न स्तरों पर साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई। चिन्हित जिलों के लाभान्वित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों, क्रियान्वयन की विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों जैसे– श्रम विभाग के अधिकारियों, जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्थित सतर्कता समितियों के सदस्यों तथा संबंधित संस्थाओं जैसे मानव अधिकार आयोग एवं गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों से साक्षात्कार अनुसूचियों, लक्षित समूह चर्चा, दूरभाष चर्चा तथा द्वितीयक आंकड़ों की सहायता से जानकारी एकत्रित की गई। इस कार्य के लिए प्रत्येक चयनित जिले में क्षेत्र अन्वेषकों का चयन कर प्रशिक्षण दिया गया। अध्ययन अंतर्गत मार्गदर्शन, समन्वय एवं मॉनिटरिंग का कार्य संस्थान द्वारा किया गया।

2.2 अध्ययन हेतु Sample Size :

प्रदेश के समस्त जिलों में बंधक श्रमिक उन्मूलन योजना संचालित है। विगत वर्षों मे प्रदेश की स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित छः जिलों का चयन अध्ययन हेतु किया गया है, जिनमें श्रम विभाग से प्राप्त आँकडों के आधार पर अधिक संख्या में बंधक श्रमिक पाये गये हैं:–

अध्ययन अंतर्गत जिलों का चयन

स. क्र.	संभाग	बंधक श्रमिकों के मूल जिले	वर्ष (बंधक श्रमिक विमुक्ति के पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या)								कुल संख्या
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	सागर	सागर				5					5
2	इन्दौर	बुरहानपुर								17	17
3	ग्वालियर	गुना						2	18		20
4	जबलपुर	मंडला				9				17	26
5	सागर	छतरपुर				5		6	20		31
6	चंबल	मुरैना	50		30		57				137
						कुल					236

तालिका क्रमांक–1 अध्ययन अंतर्गत जिलों का चयन

अध्ययन हेतु चयनित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों, श्रम विभाग के अधिकारियों, जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्थित सतर्कता समितियों के सदस्यों तथा संबंधित संस्थाओं जैसे गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों की संख्या का विवरण निम्नानुसार हैः—

उत्तरदाताओं की कुल संख्या

स. क.	उत्तरदाता	सम्पूर्ण प्रदेश में 6 जिले
1	उन्मुक्त बंधक श्रमिक	60
2	श्रम विभाग के अधिकारी	30
3	जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्थित सतर्कता समितियों के सदस्य	24
4	गैर सरकारी संगठनों के सदस्य	36
	कुल उत्तरदाता	150

तालिका क्रमांक–2 अध्ययन अंतर्गत सेम्पल साईज़

अध्ययन में **उपरोक्त छः जिलो से कुल 150** विभिन्न हितग्राहियों **से साक्षात्कार अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र की** गई।प्रत्येक जिले से उन्मुक्त बंधक श्रमिकों, श्रम विभाग के अधिकारियों तथा जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्थित सतर्कता समितियों के सदस्यों को अध्ययन में शामिल किया गया। प्रत्येक जिले से संबंधित संस्थाओं जैसे गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों कों भी अध्ययन में शामिल किया गया है।

2.3 साक्षात्कार अनुसूचियों का निर्माण :

बंधक श्रमिक उन्मूलन में आ रही समस्याओं एवं इस संबंध में नई संभावनाओं का अध्ययन करने हेतु संस्थान द्वारा जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्थित विभिन्न हितग्राहियों से अध्ययन के उद्देशों के संबंध में **चार साक्षात्कार अनुसूचियों/प्रश्नावलियों** का निर्माण किया गया :—

1. उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के लिए,
2. श्रम विभाग के अधिकारियों के लिए,
3. जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्थित सतर्कता समितियों के सदस्यों के लिए तथा
4. गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों के लिए।

अध्ययन हेतु उत्तरदाताओं का चयन रेण्डम पद्धति से करते हुए बंधक श्रमिक उन्मूलन योजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर संख्यात्मक जानकारी एकत्रित की गई।

अध्ययन हेतु मूल्यांकन के सभी बिन्दुओं को समाहित करते हुए साक्षात्कार अनुसूचियों का निर्माण कर श्रम विभाग से चर्चा तथा अनुमोदन उपरान्त अध्ययन हेतु उपयोग में लाया गया। साक्षात्कार अनुसूची बहुत ही सहज एवं सरल भाषा में बनाई गई, जिससे की उत्तरदाता इसे आसानी से समझ सकें। इन साक्षात्कार अनुसूचियों का निर्माण मुख्यतः संख्यात्मक आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए किया गया तथा इनमें अध्ययन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इन साक्षात्कार अनुसूचियों का क्षेत्र परीक्षण दिनांक 16.08.2018 को उप सलाहकार (ज्ञान प्रबंधन) द्वारा सागर जिले में किया गया। संस्थान द्वारा क्षेत्र में पायलट परीक्षण उपरान्त साक्षात्कार अनुसूचियों को अंतिम रूप दिया गया। चयनित जिलों में क्षेत्र अन्वेषकों ने योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विकसित **"ई–संचय" मोबाईल एप** के माध्यम से साक्षात्कार अनुसूचियों अनुसार संख्यात्मक आँकड़े एकत्रित किये गये।

2.4 क्षेत्र अन्वेषकों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम :

अध्ययन अंतर्गत साक्षात्कार अनुसूचियों के माध्यम से आँकड़ों के संग्रहण के लिए मध्यप्रदेश राज्य के 06 जिलों में क्षेत्र अन्वेषकों का चयन किया गया। क्षेत्र अन्वेषकों के लिए अध्ययन से पूर्व दिशा–निर्देश दिये जाने हेतु **एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 01.09.2018 को संस्थान** में किया गया।

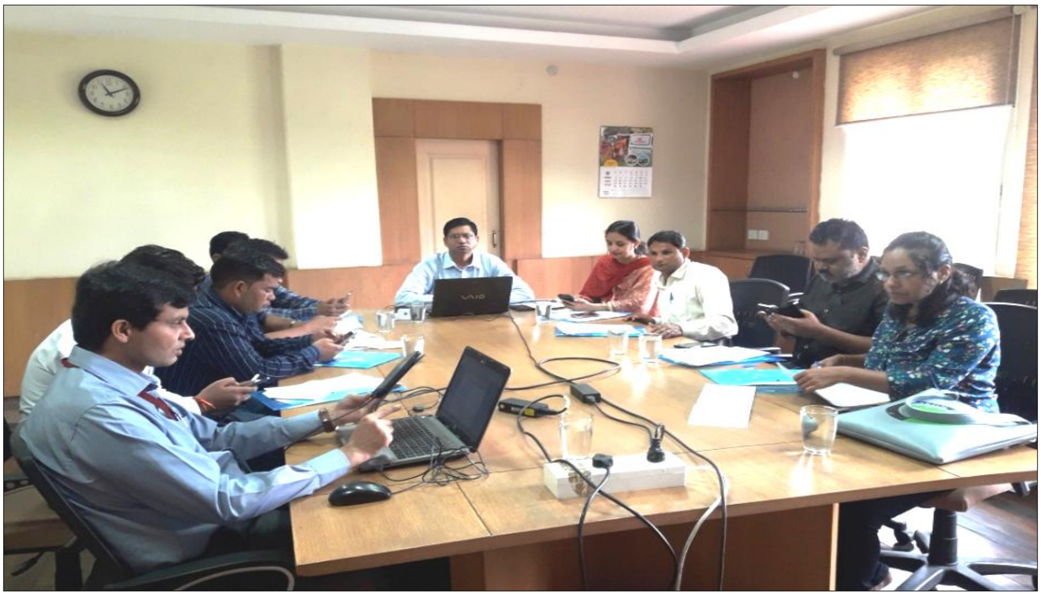

चित्र क्रमांक–1 क्षेत्र अन्वेषकों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम

क्षेत्र अन्वेषकों को योजना से संबंधित विभिन्न पहलूओं की जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान की गई। इस कार्यक्रम मे क्षेत्र अन्वेषकों को साक्षात्कार अनुसूचियों को समझाया गया तथा इन अनुसूचियों के माध्यम से आँकड़े एकत्र किए जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये। अध्ययन से संबंधित जिले के उन्मुक्त बंधक श्रमिकों, श्रम विभाग के अधिकारियों, जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्थित सतर्कता समितियों के सदस्यों तथा संबंधित संस्थाओं

जैसे गैर सरकारी संगठनों की सूची क्षेत्र अन्वेषकों को प्रदान की गयी। **"ई–संचय"** मोबाईल एप के माध्यम से साक्षात्कार अनुसूचियों अनुसार संख्यात्मक आँकड़े एकत्रित किये जाने हेतु क्षेत्र अन्वेषकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। क्षेत्र अन्वेषकों को आँकड़ों के संग्रहण की नैतिक जिम्मेदारियों से भी अवगत कराया गया।

2.5 आँकड़ों का संग्रहण, परीक्षण एवं कम्प्यूटरीकरण :

अध्ययन के लिए तैयार की गई साक्षात्कार अनुसूचियों से विस्तृत संख्यात्मक जानकारी **"ई–संचय"** मोबाईल एप से एकत्रित की गई। विभिन्न साक्षात्कार अनुसूचियों के माध्यम से चयनित जिलों से एकत्रित किये गये आँकड़ों का विश्लेषण करने से पहले आँकड़ों की गुणवत्ता एवं शुद्धता को सुनिश्चित किया गया। **अध्ययन से संबंधित फोटोग्राफ परिशिष्ट–2 में व्यवस्थित हैं।**

2.6 संख्यात्मक आँकड़ों का विश्लेषण :

अध्ययन के दौरान साक्षात्कार अनुसूचियों के माध्यम से चयनित जिलों से प्राप्त संख्यात्मक आँकड़ों का योग कर राज्य स्तर पर एकजाई कर तालिकाओं में प्रदर्शित किया गया है। आवृत्ति, प्रतिशत एवं औसत के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। बहुविकल्पीय प्रश्नों के विश्लेषण में सभी विकल्पों को समान रूप से प्राथमिकता देते हुए कुल प्राप्त उत्तरों को प्रतिशत के द्वारा व्यक्त किया गया है। **संदर्भ हेतु अध्ययन से संबंधित परिणाम तालिकाऐं परिशिष्ट–1 में व्यवस्थित हैं।**

2.7 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं :

अनुसूचियों के माध्यम से प्राप्त आँकड़ों, द्वितीयक आँकड़ों तथा साक्षात्कार अनुसूची भरने के दौरान हुए अनुभवों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अनुशंसाएं दी गई हैं, जिससे योजना का क्रियान्वयन और प्रभावी हो सके।

अध्याय–3

आँकड़ों का विश्लेषण

अध्ययन के लिए तैयार की गई साक्षात्कार अनुसूचियों, दूरभाष चर्चा तथा द्वितीयक आँकड़ों से योजनांतर्गत चिन्हित जिलों के **लाभान्वित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों, क्रियान्वयन की विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों जैसे– श्रम विभाग के अधिकारियों, जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्थित सतर्कता समितियों के सदस्यों तथा संबंधित संस्थाओं जैसे मानव अधिकार आयोग के जिले में नियुक्त आयोग मित्र एवं गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों** से विस्तृत जानकारी एकत्रित की गई। आँकड़ों का प्रतिशत के आधार पर विश्लेषण किया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के विश्लेषण में सभी विकल्पों को समान रूप से प्राथमिकता देते हुए कुल प्राप्त उत्तरों को प्रतिशत के द्वारा व्यक्त किया गया है। **संदर्भ हेतु अध्ययन से संबंधित परिणाम तालिकाऐं परिशिष्ट–1 में व्यवस्थित हैं।** अध्ययन में एकत्रित जानकारियों का विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार है :–

3.1 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

अध्ययन में शामिल उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी निम्नानुसार है:–

3.1.1 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की बंधक अवस्था की स्थिति

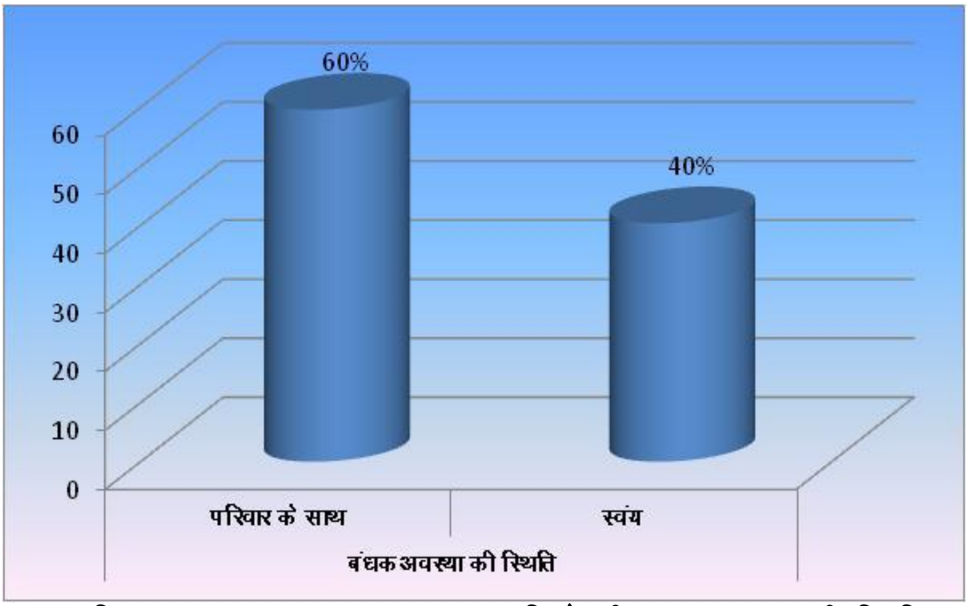

बार चित्रण क्रमांक 3.1.1 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की बंधक अवस्था की स्थिति
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.1.1)

अध्ययन अंतर्गत लिए गए नमूनों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि 60 प्रतिशत उन्मुक्त बंधक श्रमिक परिवार के साथ तथा 40 प्रतिशत स्वयं बंधक अवस्था में थे।

3.1.2 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों का लिंगानुपात

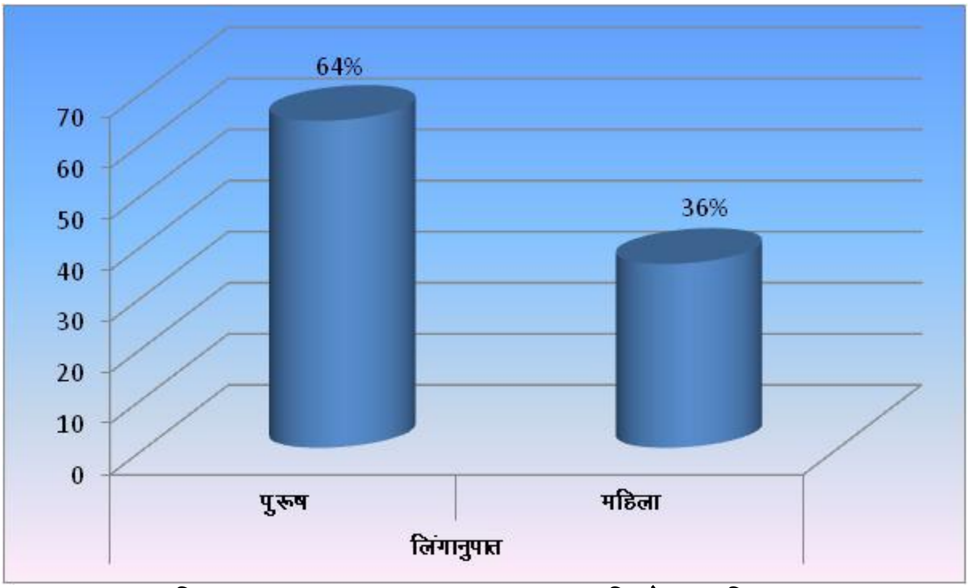

बार चित्रण क्रमांक 3.1.2 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों का लिंगानुपात
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.1.2)

अध्ययन अंतर्गत लिए गए नमूनों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि उन्मुक्त बंधक श्रमिकों मे से 64 प्रतिशत श्रमिक पुरूष एवं 36 प्रतिशत महिलायें हैं।

3.1.3 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की आयु का वर्गीकरण

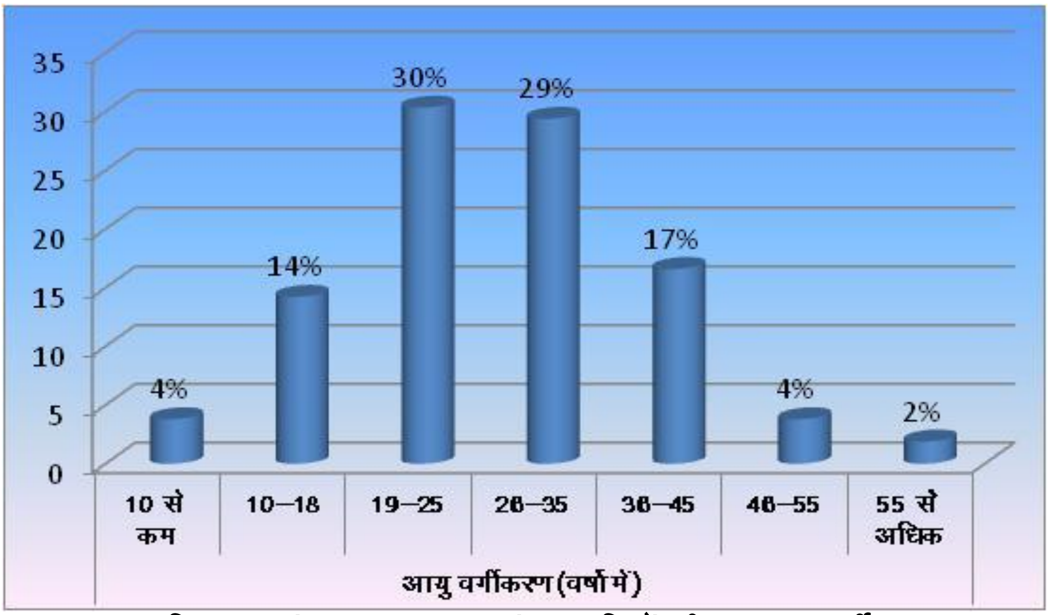

बार चित्रण क्रमांक 3.1.3 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की आयु का वर्गीकरण
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.1.3)

विगत पाँच वर्षो मे चयनित जिलों के उन्मुक्त बंधक श्रमिकों मे से 30 प्रतिशत श्रमिकों की आयु 19–25 वर्ष, 29 प्रतिशत श्रमिकों की आयु 26–35 वर्ष तथा 17 प्रतिशत श्रमिकों की आयु 36–45 वर्ष है। उन्मुक्त बंधक श्रमिकों में 14 प्रतिशत श्रमिकों की आयु 10–18 वर्ष, 04 प्रतिशत श्रमिकों की आयु क्रमशः 10 वर्ष से कम तथा 46–55 वर्ष और 02 प्रतिशत श्रमिकों की आयु 55 वर्ष से अधिक भी है।

3.1.4 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों का जातिगत वर्गीकरण

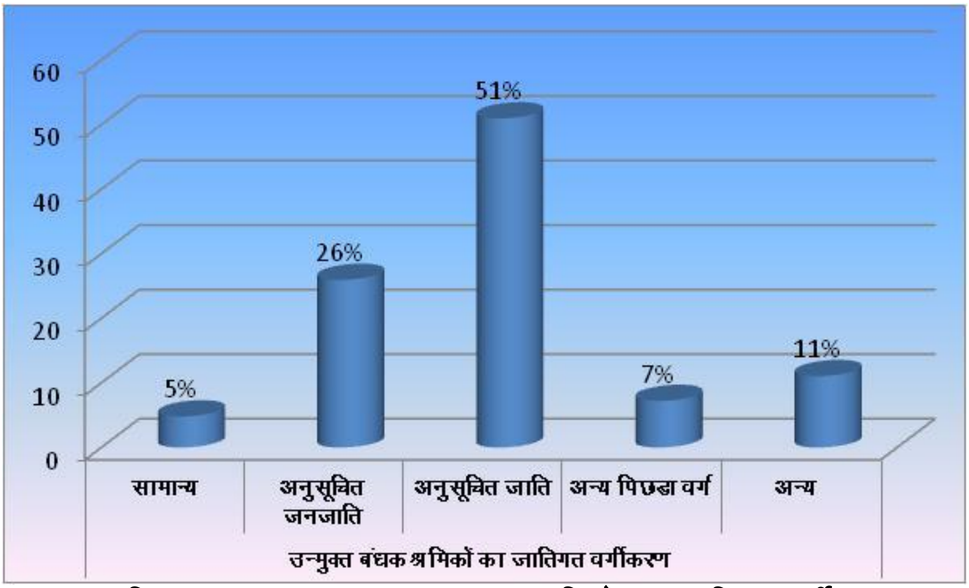

बार चित्रण क्रमांक 3.1.4 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों का जातिगत वर्गीकरण
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.1.4)

अध्ययन अंतर्गत लिए गए नमूनों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि चयनित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों मे से 51 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जाति, 26 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जनजाति, 11 प्रतिशत श्रमिक अन्य जाति से जैसे मुस्लिम, 7 प्रतिशत श्रमिक अन्य पिछडा वर्ग एवं 5 प्रतिशत श्रमिक सामान्य जाति के हैं।

3.1.5 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की शारीरिक विकलांगता की स्थिति

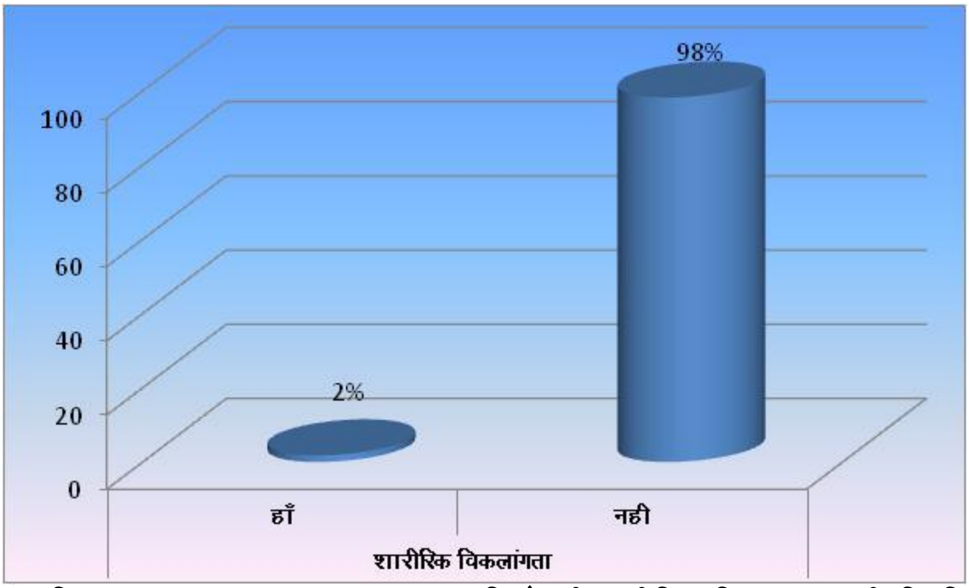

बार चित्रण क्रमांक 3.1.5 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की शारीरिक विकलांगता की स्थिति
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.1.5)

अध्ययन अंतर्गत लिए गए नमूनों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि चयनित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों मे से केवल 02 प्रतिशत श्रमिक शारीरिक रूप से विकलांग हैं।

3.1.6 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की शैक्षणिक योग्यता

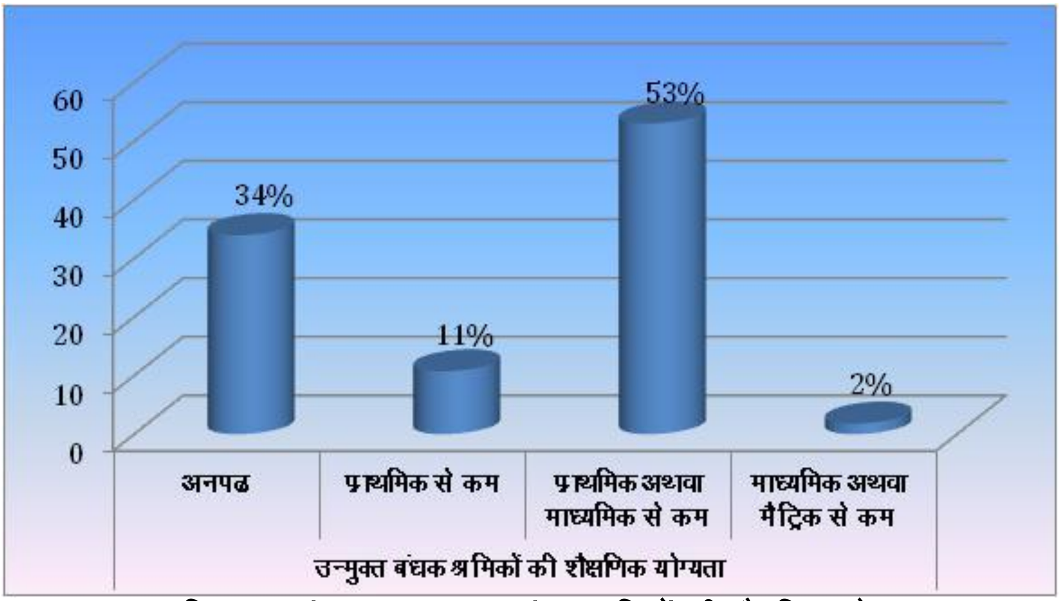

बार चित्रण क्रमांक 3.1.6 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की शैक्षणिक योग्यता
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.1.6)

अध्ययन अंतर्गत लिए गए नमूनों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि उन्मुक्त बंधक श्रमिकों मे से 11 प्रतिशत प्राथमिक से कम, 53 प्रतिशत श्रमिक प्राथमिक अथवा माध्यमिक से कम, 2 प्रतिशत माध्यमिक अथवा मैट्रिक से कम शिक्षित एवं 34 प्रतिशत उन्मुक्त बंधक श्रमिक अनपढ़ हैं।

3.1.7 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की वैवाहिक स्थिति

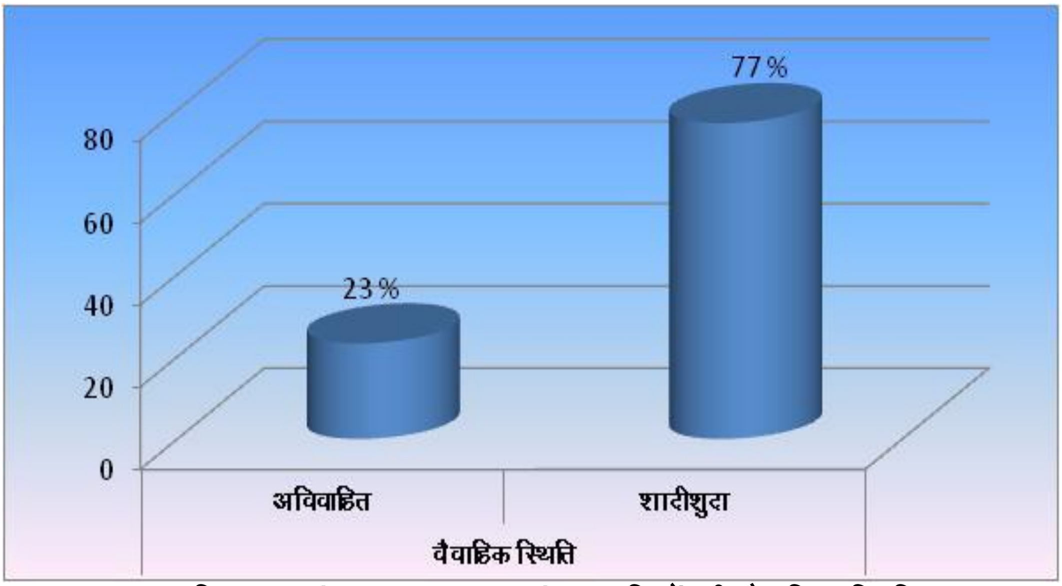

बार चित्रण क्रमांक 3.1.7 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की वैवाहिक स्थिति
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.1.7)

अध्ययन अंतर्गत लिए गए नमूनों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि उन्मुक्त बंधक श्रमिकों मे से 77 प्रतिशत विवाहित हैं।

3.1.8 बंधक श्रमिक होने के कारणों की स्थिति

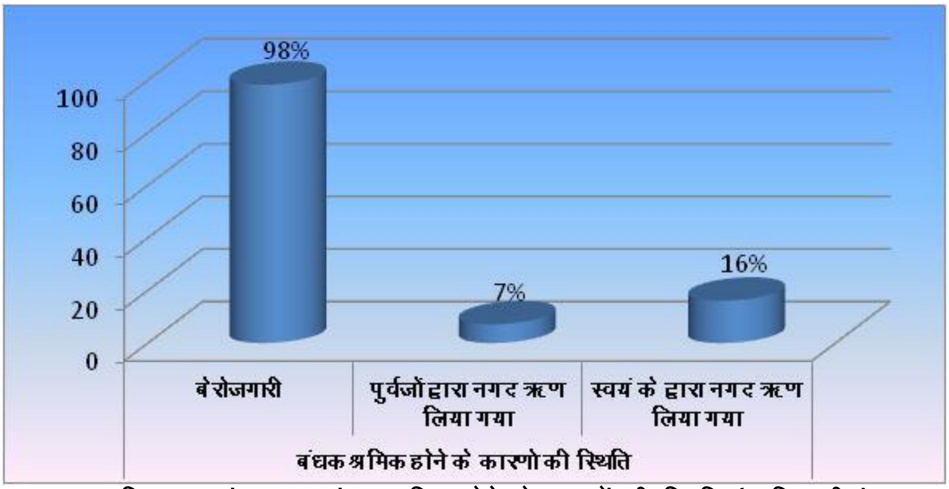

बार चित्रण क्रमांक 3.1.8 बंधक श्रमिक होने के कारणों की स्थिति (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.1.8)

अध्ययन हेतु चयनित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के बंधक श्रमिक होने के मुख्य कारण 98 प्रतिशत श्रमिकों अनुसार बेरोजगारी, 16 प्रतिशत श्रमिकों अनुसार नगद ऋण लिया जाना एवं 7 प्रतिशत श्रमिकों अनुसार उनकें पुर्वजों द्वारा नगद ऋण लिया जाना है।

3.1.9 नगद ऋण लेने के कारणों एवं नगद राशि की स्थिति

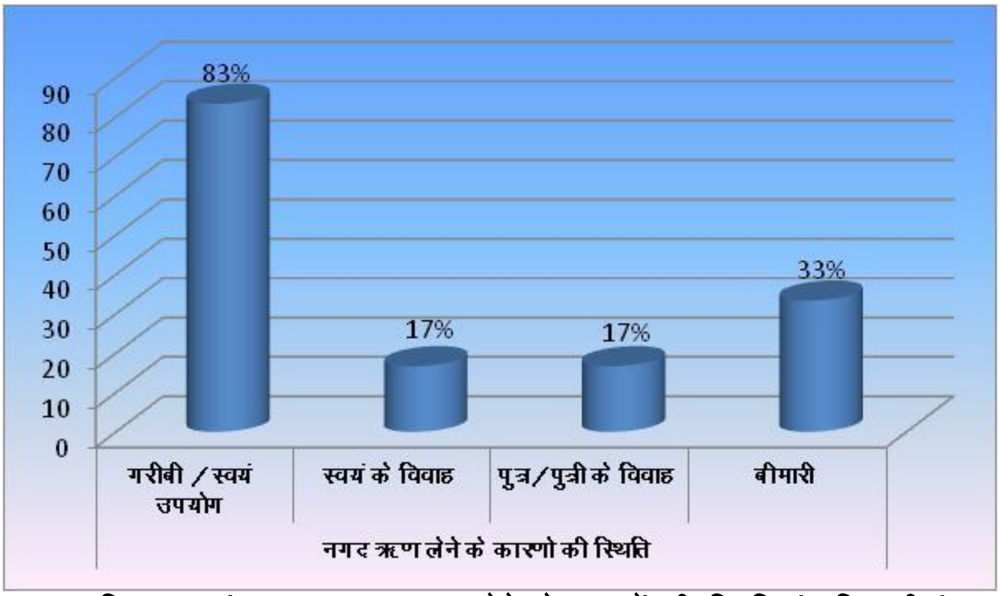

बार चित्रण क्रमांक 3.1.9 नगद ऋण लेने के कारणों की स्थिति (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.1.9)

उन्मुक्त बंधक श्रमिक (16 प्रतिशत) जिनके द्वारा नगद ऋण लिया गया उनमे से 83 प्रतिशत श्रमिकों द्वारा गरीबी/स्वयं उपयोग हेतु, 33 प्रतिशत द्वारा बीमारी हेतु तथा 17 प्रतिशत श्रमिकों द्वारा क्रमशः स्वयं के विवाह के लिये एवं उनके पुत्र/पुत्री के विवाह के लिये नगद ऋण लिया गया।

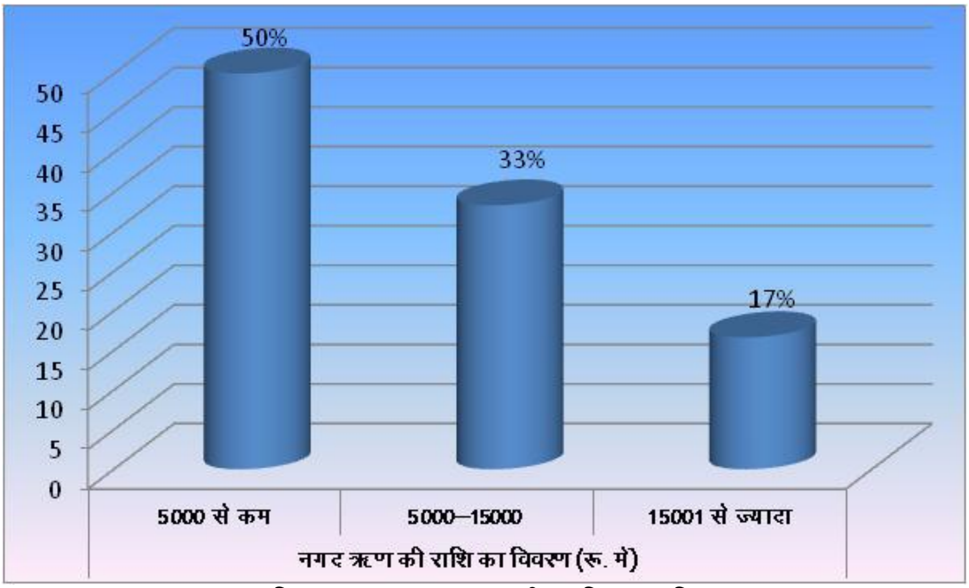

बार चित्रण– नगद ऋण की राशि का विवरण
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.1.9)

अध्ययन अंतर्गत लिए गए नमूनों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि उन्मुक्त बंधक श्रमिक (16 प्रतिशत) जिनके द्वारा नगद ऋण लिया गया उनमे से 50 प्रतिशत श्रमिकों द्वारा रूपये 5,000 से कम, 33 प्रतिशत द्वारा रूपये 5,000 से 15,000 तक तथा 17 प्रतिशत द्वारा रूपये 15,000 से ज्यादा नगद ऋण लिया गया था।

3.1.10 बंधक श्रमिक अवधि में किये गये कार्य

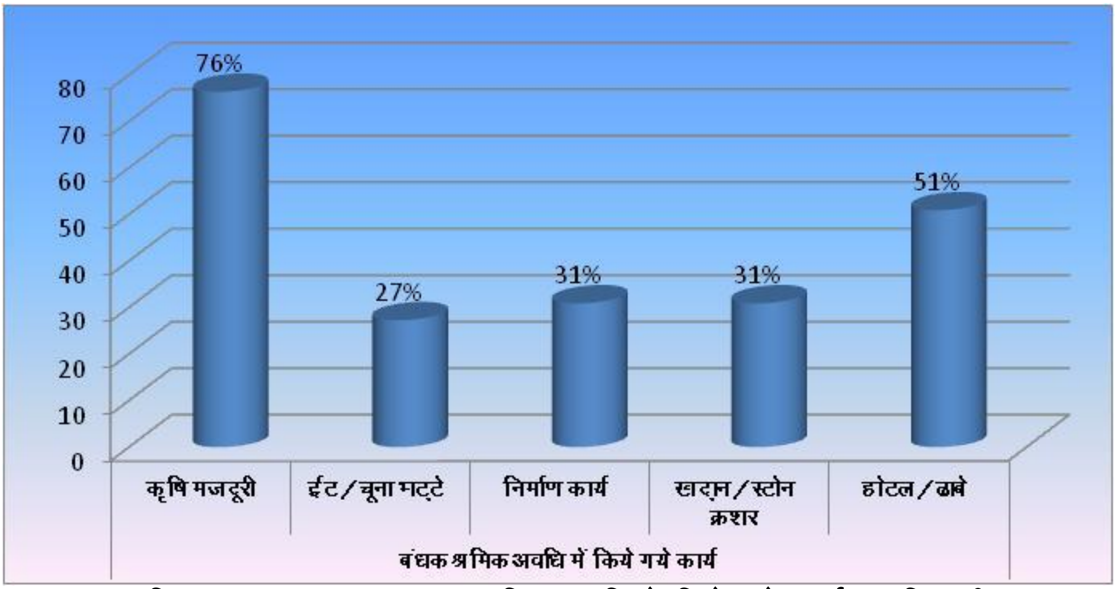

बार चित्रण क्रमांक 3.1.10 बंधक श्रमिक अवधि में किये गये कार्य (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.1.10)

अध्ययन अंतर्गत लिए गए नमूनों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि चयनित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों मे से 76 प्रतिशत श्रमिकों द्वारा कृषि मजदूरी, 51 प्रतिशत द्वारा होटल/ढाबे मे, क्रमशः 31 प्रतिशत द्वारा खदान/स्टोन क्रशर एवं निर्माण कार्य तथा 27 प्रतिशत द्वारा ईट/चूना भट्टे जैसे क्षेत्रों मे बंधक अवधि में कार्य किया गया।

3.1.11 बंधक श्रमिक होने की समयावधि

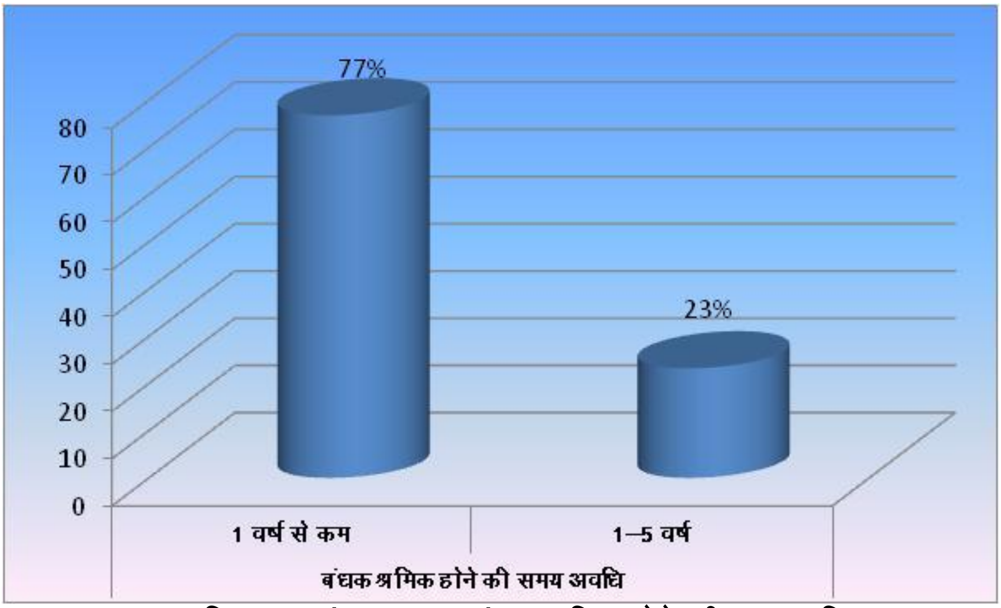

बार चित्रण क्रमांक 3.1.11 बंधक श्रमिक होने की समयावधि
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.1.11)

अध्ययन अंतर्गत लिए गए नमूनों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि चयनित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों मे से 77 प्रतिशत श्रमिक 1 वर्ष से कम एवं 23 प्रतिशत श्रमिक 1 से 5 वर्षो तक की अवधि मे बंधक थे।

3.1.12 बंधक श्रमिक प्रथा के संबंध में जागरूकता की स्थिति

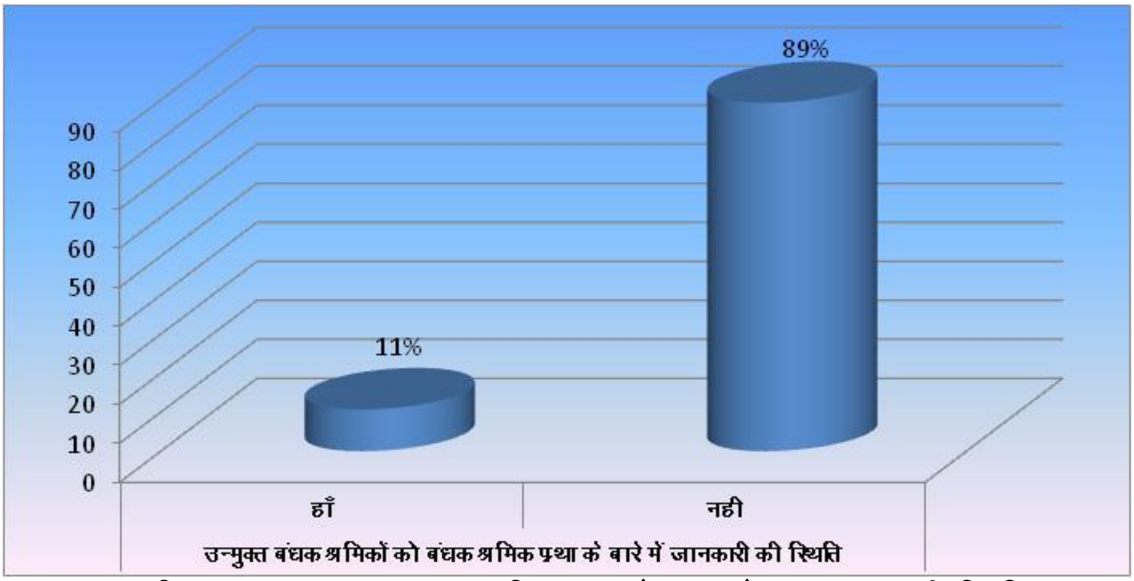

बार चित्रण क्रमांक 3.1.12 बंधक श्रमिक प्रथा के संबंध में जागरूकता की स्थिति
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.1.12)

अध्ययन हेतु चयनित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों मे से 11 प्रतिशत बंधक श्रमिकों को बंधक श्रमिक प्रथा के संबंध में जानकारी है।

3.2 बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन प्रक्रिया की स्थिति

3.2.1 बंधक श्रमिकों के प्रकरण पाये जाने के कारणों का विवरण

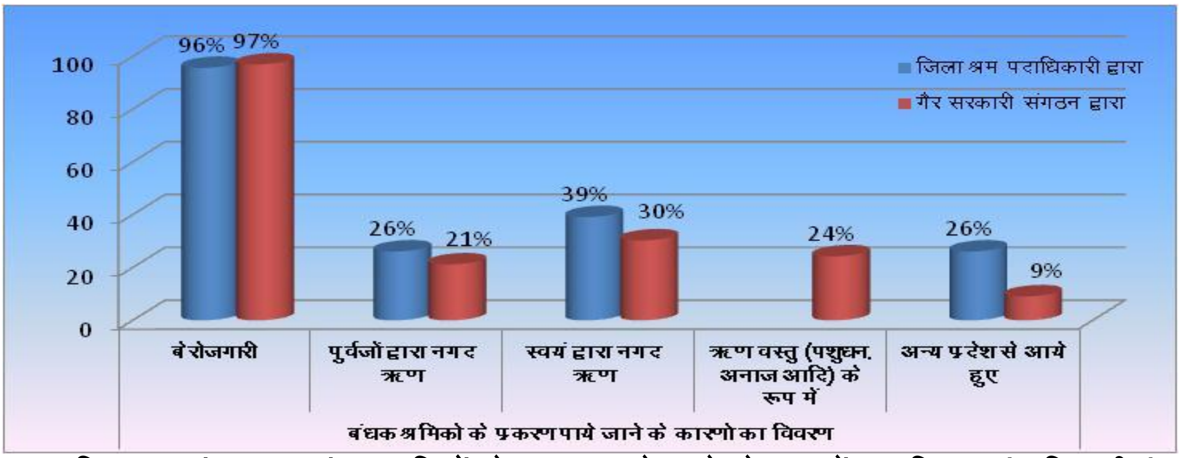

बार चित्रण क्रमांक 3.2.1 बंधक श्रमिकों के प्रकरण पाये जाने के कारणों का विवरण (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.2.1)

अध्ययन हेतु चयनित **जिला श्रम पदाधिकारियों** में से उनके जिले मे 96 प्रतिशत अनुसार बंधक श्रमिकों ने बेरोजगारी/ आजीविका चलाने हेतु, 39 प्रतिशत अनुसार बंधक श्रमिकों द्वारा नगद ऋण लिया जाना, क्रमशः 26 प्रतिशत अनुसार बंधक श्रमिक के पुर्वजों द्वारा नगद ऋण लिया जाना एवं अन्य प्रदेश से आये हुए बंधक श्रमिकों के प्रकरण पाये जाने के मुख्य कारण बताये हैं। अध्ययन हेतु चयनित **गैर सरकारी संगठनों** में से 97 प्रतिशत अनुसार बंधक श्रमिकों ने बेरोजगारी/ आजीविका चलाने हेतु, 30 प्रतिशत अनुसार बंधक श्रमिकों द्वारा नगद ऋण लिया जाना, 24 प्रतिशत अनुसार ऋण वस्तु (पशुधन, अनाज आदि) के रूप में, 21 प्रतिशत अनुसार बंधक श्रमिक के पुर्वजों द्वारा नगद ऋण लिया जाना एवं 9 प्रतिशत अनुसार अन्य प्रदेश से आये हुए बंधक श्रमिकों के प्रकरण पाये जाने के मुख्य कारण बताये हैं।

3.2.2 बंधक श्रमिकों के कार्यस्थल का विवरण

बार चित्रण क्रमांक 3.2.2 बंधक श्रमिकों के कार्यस्थल का विवरण (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.2.2)

अध्ययन हेतु चयनित **जिला श्रम पदाधिकारियों** में से 70 प्रतिशत अनुसार कृषि मजदूरी, 45 प्रतिशत अनुसार ईट/चूना भट्टा, 40 प्रतिशत अनुसार होटल/ढाबा, 35 प्रतिशत अनुसार निर्माण कार्य, 25 प्रतिशत अनुसार खदान/स्टोन क्रशर जैसे क्षेत्रों में विगत 5 वर्षो में बंधक श्रमिक पाया जाना बताया गया है। अध्ययन हेतु चयनित **गैर सरकारी संगठनों** में से 82 प्रतिशत अनुसार कृषि मजदूरी, 53 प्रतिशत अनुसार होटल/ढाबा, 47 प्रतिशत अनुसार खदान/स्टोन क्रशर, 32 प्रतिशत अनुसार निर्माण कार्य, 29 प्रतिशत अनुसार ईट/चूना भट्टा तथा 6 प्रतिशत अनुसार अन्य क्षेत्रों जैसे–पशुपालन में विगत 5 वर्षो में बंधक श्रमिक पाया जाना बताया गया है।

3.2.3 बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन हेतु जानकारी प्राप्त होने का विवरण

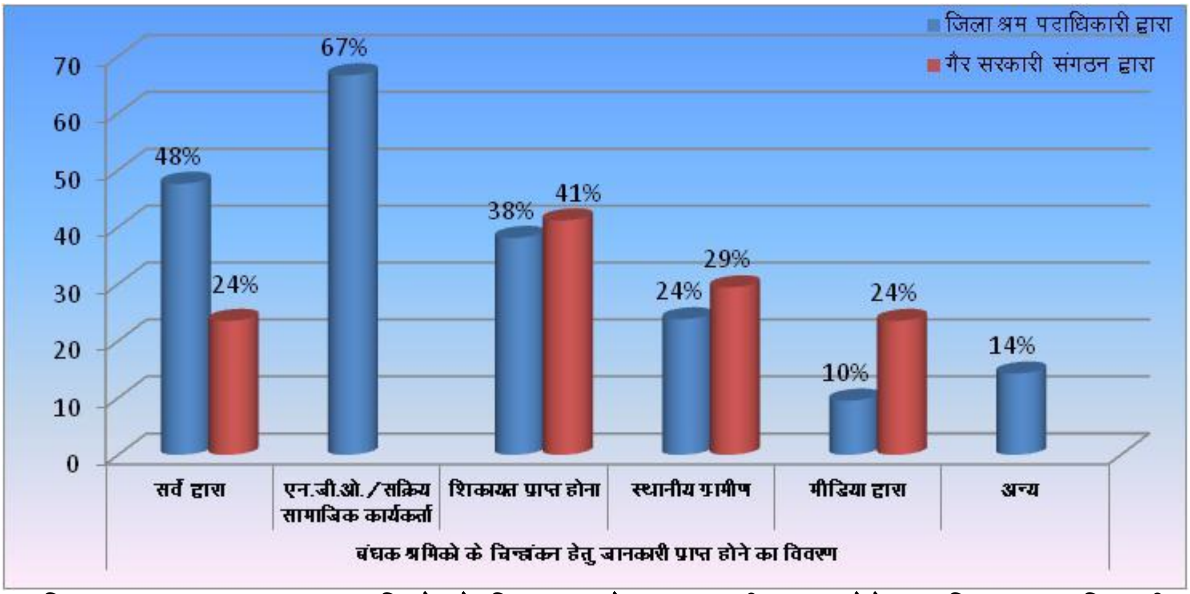

बार चित्रण क्रमांक 3.2.3 बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन हेतु जानकारी प्राप्त होने का विवरण (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.2.3)

अध्ययन हेतु चयनित **जिला श्रम पदाधिकारियों** में से 67 प्रतिशत द्वारा एन.जी.ओ. /सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, 48 प्रतिशत द्वारा सर्वे, 38 प्रतिशत द्वारा शिकायत प्राप्त होना, 24 प्रतिशत द्वारा स्थानीय ग्रामीण, 14 प्रतिशत द्वारा अन्य स्त्रोतों जैसे– लिबर्टी पोर्टल एवं 10 प्रतिशत द्वारा मीडिया से बंधक श्रमिकों की जानकारी प्राप्त होना बताया गया है। अध्ययन हेतु चयनित **गैर सरकारी संगठनों** में से 41 प्रतिशत द्वारा शिकायत प्राप्त होना, 29 प्रतिशत द्वारा स्थानीय ग्रामीण, क्रमशः 24 प्रतिशत अनुसार सर्वे एवं मीडिया द्वारा बंधक श्रमिकों की जानकारी प्राप्त होने के स्त्रोत बताये गये हैं।

3.2.4 चिन्हांकन हेतु सर्वे किये जाने की स्थिति

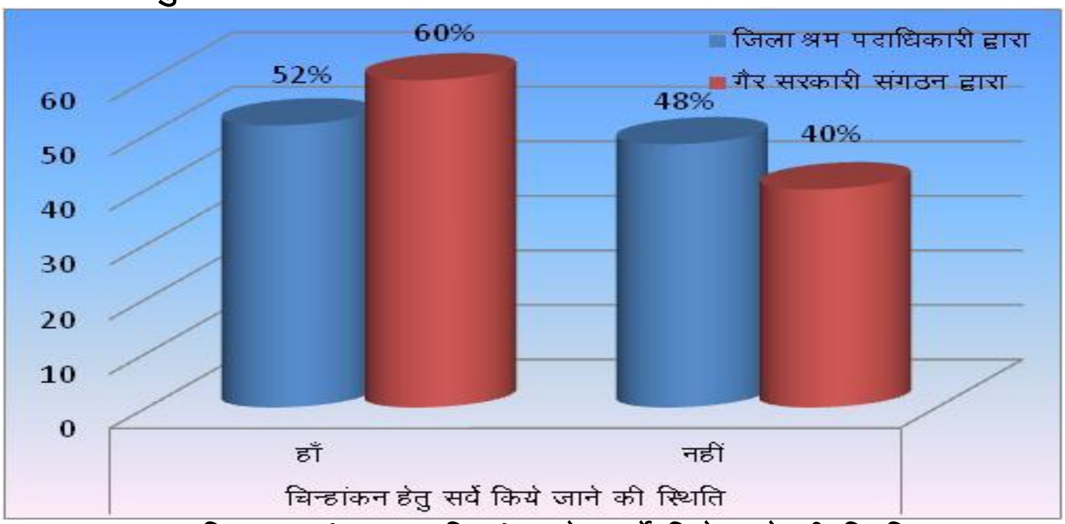

बार चित्रण क्रमांक 3.2.4 चिन्हांकन हेतु सर्वे किये जाने की स्थिति
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.2.4)

अध्ययन हेतु चयनित 52 प्रतिशत **जिला श्रम पदाधिकारियों** द्वारा तथा 60 प्रतिशत **गैर सरकारी संगठनों** द्वारा बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन हेतु जिले में उनके द्वारा निरंतर सर्वे किया जाना बताया गया है।

3.2.5 चिन्हांकन हेतु समस्याओं का विवरण

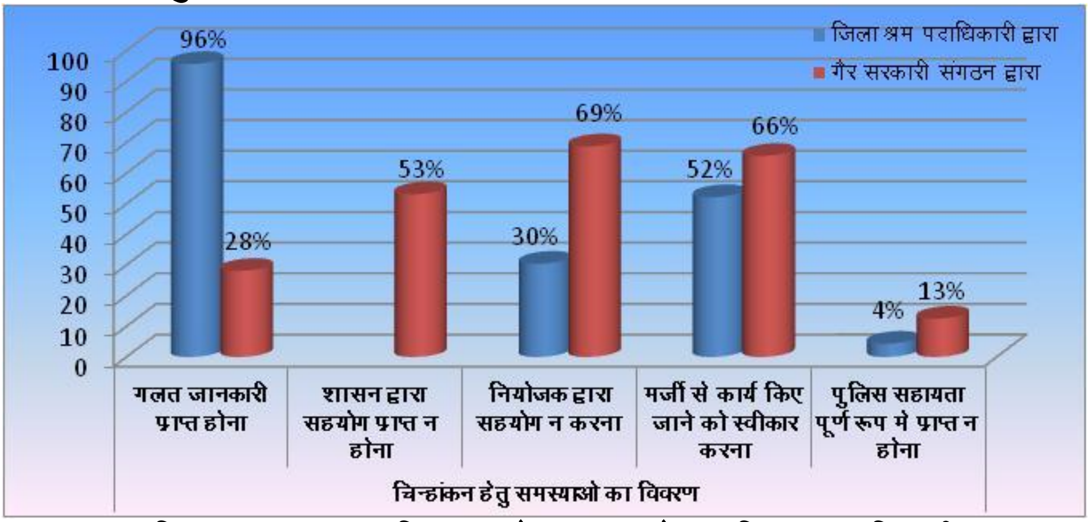

बार चित्रण क्रमांक 3.2.5 चिन्हांकन हेतु समस्याओं का विवरण (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.2.5)

अध्ययन हेतु चयनित **जिला श्रम पदाधिकारियों** में से 96 प्रतिशत द्वारा गलत जानकारी प्राप्त होना, 52 प्रतिशत द्वारा बंधक श्रमिक के द्वारा मर्जी से कार्य किए जाने को स्वीकार करना, 30 प्रतिशत अनुसार नियोजक के द्वारा सहयोग न करना एवं 4 प्रतिशत द्वारा पुलिस सहायता पूर्ण रूप से प्राप्त न होना मुख्य रूप से जिले मे बंधक श्रमिकों को चिंन्हित किये जाने हेतु समस्या के कारण बताये गये हैं। अध्ययन हेतु चयनित **गैर सरकारी संगठनों** के अनुसार 69 प्रतिशत द्वारा नियोजक के द्वारा सहयोग न करना, 66 प्रतिशत द्वारा बंधक श्रमिक के द्वारा मर्जी से कार्य किए जाने को स्वीकार करना, 53 प्रतिशत अनुसार शासन द्वारा सहयोग प्राप्त न होना, 28 प्रतिशत द्वारा गलत जानकारी प्राप्त होना तथा 13 प्रतिशत के द्वारा पुलिस सहायता पूर्ण रूप से प्राप्त न होना मुख्य रूप से जिले में बंधक श्रमिकों को चिंन्हित किये जाने हेतु परेशानी के कारण बताये गये हैं।

3.3 बंधक श्रमिकों की नियोजकों से विमुक्ति प्रक्रिया की स्थिति

3.3.1 बंधक श्रमिकों की विमुक्ति हेतु मदद् का विवरण

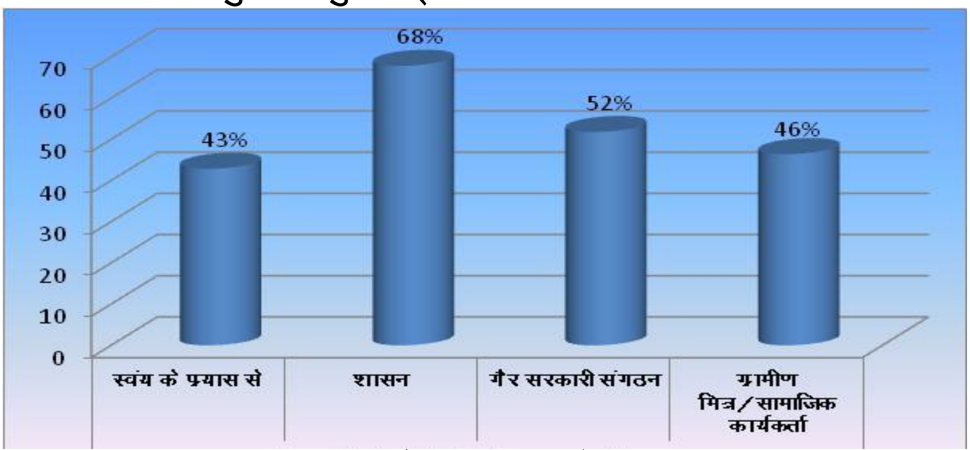

बार चित्रण क्रमांक 3.3.1 बंधक श्रमिकों की विमुक्ति हेतु मदद् का विवरण (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.3.1)

अध्ययन हेतु चयनित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों मे से 68 प्रतिशत को शासन द्वारा, 52 प्रतिशत को गैर सरकारी संगठनों द्वारा, 46 प्रतिशत को ग्रामीण मित्र/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा मदद् तथा 43 प्रतिशत को स्वयं के प्रयास से विमुक्ति प्राप्त हुई।

3.3.2 विमुक्ति हेतु समस्याओं का विवरण

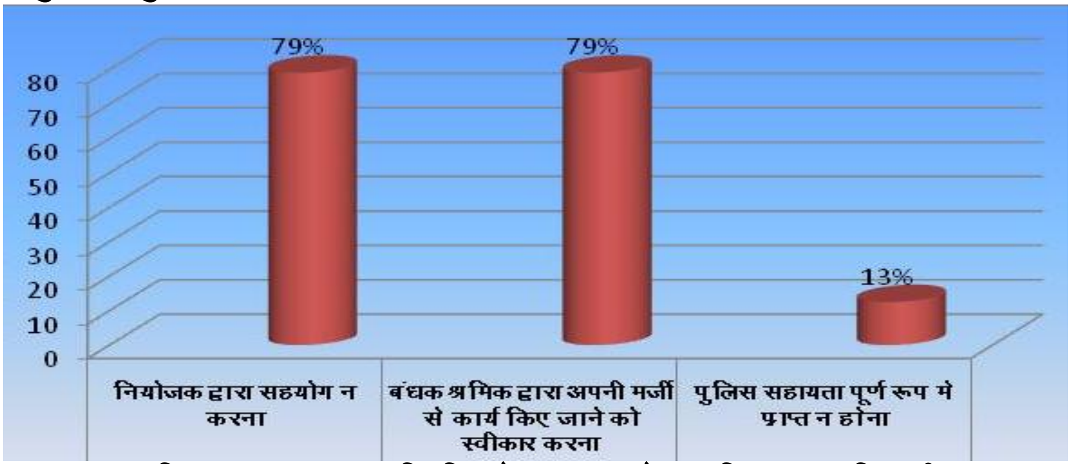

बार चित्रण क्रमांक 3.3.2 विमुक्ति हेतु समस्याओं का विवरण (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.3.2)

अध्ययन हेतु चयनित जिला श्रम पदाधिकारियों के अनुसार क्रमशः 79 प्रतिशत नियोजक द्वारा सहयोग न करना एवं बंधक श्रमिक द्वारा अपनी मर्जी से कार्य किए जाने को स्वीकार करना तथा 13 प्रतिशत द्वारा पुलिस सहायता पूर्ण रूप से प्राप्त न होना जिले में बंधक श्रमिकों की विमुक्ति की मुख्य समस्याएँ हैं।

3.3.3 विमुक्ति उपरांत तत्काल राहत हेतु सहायता का विवरण

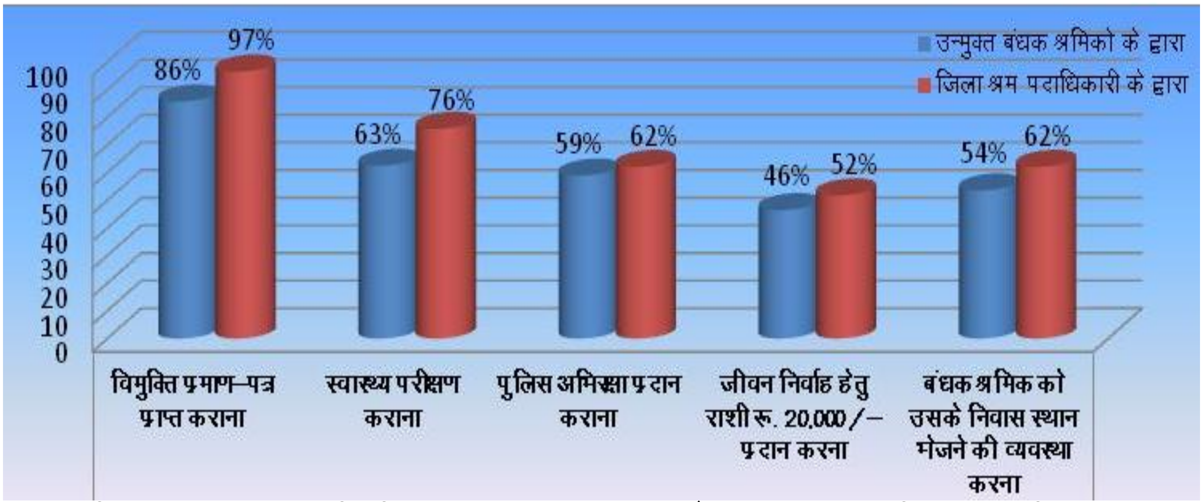

बार चित्रण क्रमांक 3.3.3 विमुक्ति उपरांत तत्काल राहत हेतु सहायता का विवरण (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.3.3)

अध्ययन हेतु चयनित **उन्मुक्त बंधक श्रमिकों** के अनुसार विमुक्ति उपरांत 86 प्रतिशत को विमुक्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कराया गया, 63 प्रतिशत का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, 59 प्रतिशत को पुलिस अभिरक्षा प्रदान की गई, 54 प्रतिशत बंधक श्रमिक को उसके निवास स्थान भेजने की व्यवस्था कराई गई एवं 46 प्रतिशत को जीवन निर्वाह हेतु राशी रू 20,000/– प्रदान कराई गई। अध्ययन हेतु चयनित **जिला श्रम पदाधिकारियों** में से 97 प्रतिशत अनुसार उन्मुक्त बंधक श्रमिकों को विमुक्ति प्रमाण–पत्र दिया गया, 76 प्रतिशत अनुसार उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, क्रमशः 62 प्रतिशत अनुसार बंधक श्रमिक को उसके निवास स्थान भेजने की व्यवस्था कराई गई एवं उनको पुलिस अभिरक्षा प्रदान कराई गई तथा 52 प्रतिशत अनुसार बंधक श्रमिकों को जीवन निर्वाह हेतु राशी रू. 20.000/– प्रदान कराई गई।

3.4 बंधक श्रमिकों के पुनर्वास प्रक्रिया की स्थिति

3.4.1 बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु प्राप्त शासकीय मदद् का विवरण

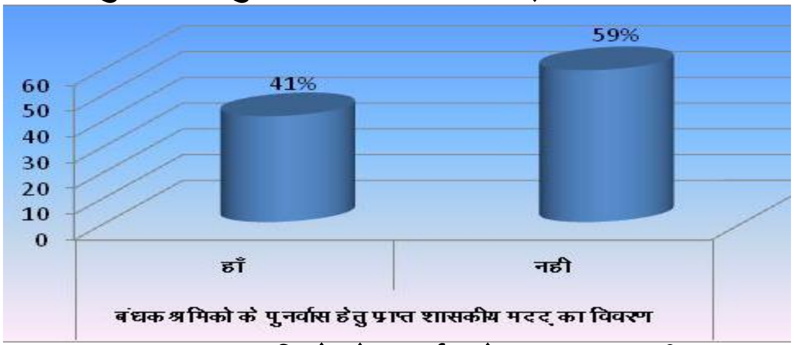

बार चित्रण क्रमांक 3.4.1 बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु प्राप्त शासकीय मदद् का विवरण
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.4.1)

अध्ययन हेतु चयनित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के अनुसार उनके पुनर्वास हेतु 41 प्रतिशत को शासकीय मदद् प्राप्त हुई।

3.4.2 विमुक्त बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सहायता का विवरण

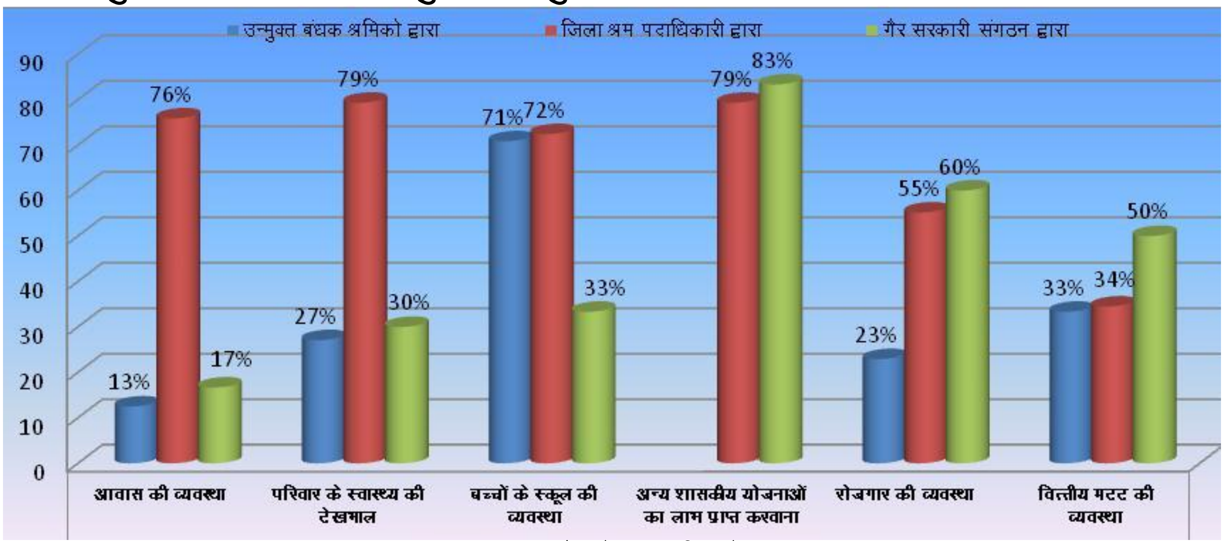

बार चित्रण क्रमांक 3.4.2 विमुक्त बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सहायता का विवरण (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.4.2)

अध्ययन हेतु चयनित **उन्मुक्त बंधक श्रमिकों** के अनुसार पुनर्वास हेतु 71 प्रतिशत को बच्चों के लिए स्कूल एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई, 33 प्रतिशत को वित्तीय मदद् अंतर्गत बैंक खाता खुलवाया गया, 27 प्रतिशत को परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था कराई गई, 23 प्रतिशत को रोजगार एवं 13 प्रतिशत को आवास की व्यवस्था कराई गई। अध्ययन हेतु चयनित **जिला श्रम पदाधिकारियों** में से क्रमशः 79 प्रतिशत अनुसार उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कराया गया, 76 प्रतिशत अनुसार उनके आवास की व्यवस्था कराई गई, 72 प्रतिशत अनुसार उनके बच्चों के लिए स्कूल एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई, 55 प्रतिशत अनुसार उनके रोजगार की व्यवस्था कराई गई एवं 34 प्रतिशत अनुसार उन्मुक्त बंधक श्रमिकों को वित्तीय मदद अंतर्गत बैंक खाता खुलवाया गया। अध्ययन हेतु चयनित **गैर सरकारी संगठनों** में से 83 प्रतिशत अनुसार उन्मुक्त बंधक श्रमिकों को पुनर्वास हेतु हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ प्राप्त कराया गया, 60 प्रतिशत अनुसार उनके रोजगार की व्यवस्था कराई गई, 50 प्रतिशत अनुसार उनको वित्तीय मदद अंतर्गत बैंक खाता खुलवाया गया, 33 प्रतिशत अनुसार उनके बच्चों के लिए स्कूल एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई, 30 प्रतिशत अनुसार उनके परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था कराई गई एवं 17 प्रतिशत अनुसार उनके आवास की व्यवस्था कराई गई।

3.4.3 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों को शासन की योजनाओं हेतु जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का विवरण

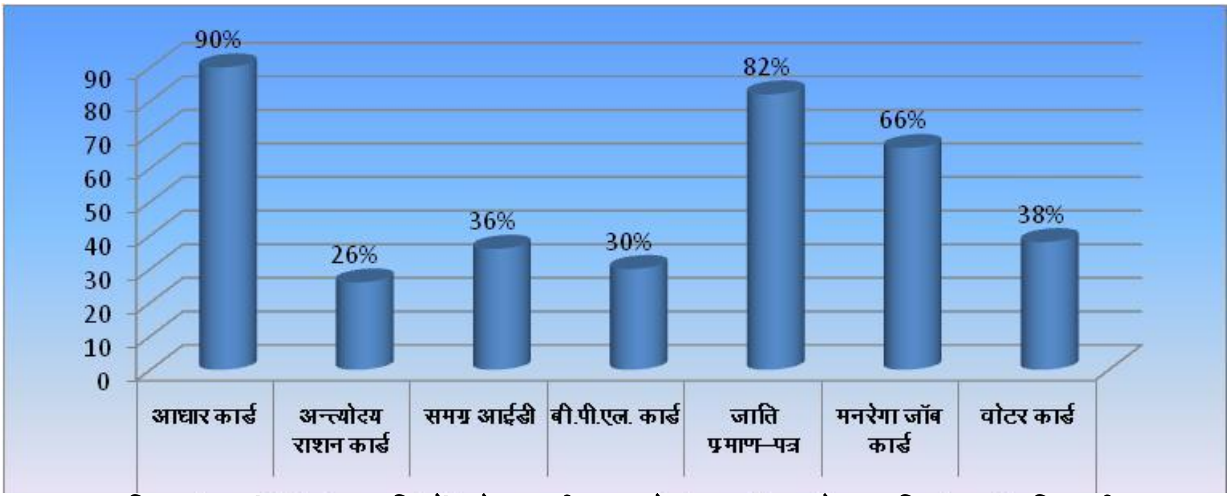

बार चित्रण क्रमांक 3.4.3 श्रमिकों को जरूरी दस्तावेज प्राप्त कराने का विवरण (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.4.3)

शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कराने हेतु अध्ययन हेतु चयनित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के अनुसार 90 प्रतिशत को आधार कार्ड, 82 प्रतिशत को जाति प्रमाण पत्र, 66 प्रतिशत को मनरेगा जॉब कार्ड, 38 प्रतिशत को वोटर कार्ड, 36 प्रतिशत को समग्र आई.डी., 30 प्रतिशत को बी.पी.एल. कार्ड एवं 26 प्रतिशत को अंत्योदय राशन कार्ड उपलब्ध कराये गए।

3.4.4 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु आ रही समस्याओं का विवरण

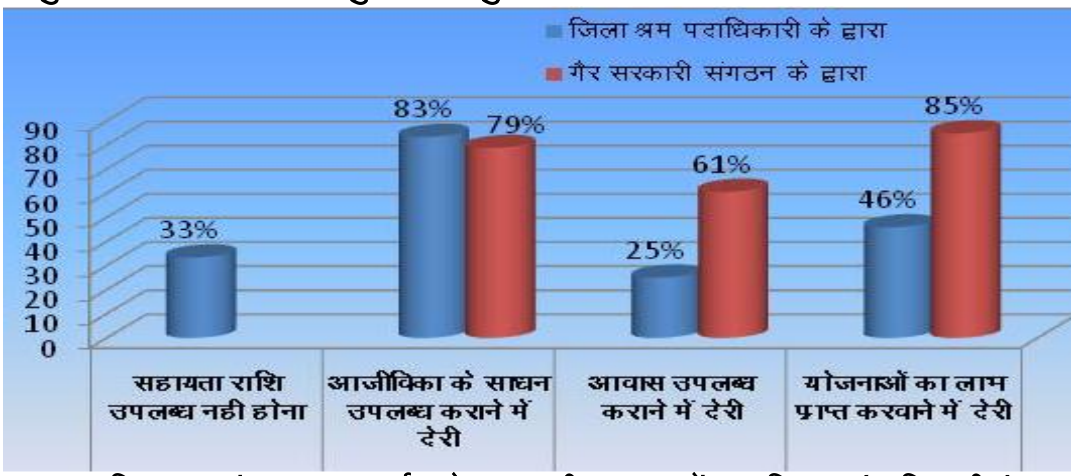

बार चित्रण क्रमांक 3.4.4 पुनर्वास हेतु आ रही समस्याओं का विवरण (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.4.4)

अध्ययन हेतु चयनित **जिला श्रम पदाधिकारियों** में से 83 प्रतिशत के अनुसार बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु आ रही समस्याओं मे आजीविका के साधन उपलब्ध कराने में देरी, 46 प्रतिशत अनुसार उनको शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करवाने में देरी, 33 प्रतिशत अनुसार उनको सहायता राशि उपलब्ध न होना एवं 25 प्रतिशत अनुसार उनको आवास उपलब्ध कराने में देरी बताया गया है। अध्ययन हेतु चयनित **गैर सरकारी संगठनों** में से बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु आ रही समस्याओं मे 85 प्रतिशत अनुसार उनको शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करवाने में देरी, 79 प्रतिशत अनुसार उनको आजीविका के साधन उपलब्ध कराने में देरी एवं 61 प्रतिशत अनुसार उनको आवास उपलब्ध कराने में देरी बताया गया है।

3.5 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के वर्तमान की स्थिति

3.5.1 पुनर्वास पश्चात् बंधक श्रमिकों के जीवनयापन के स्त्रोत का विवरण

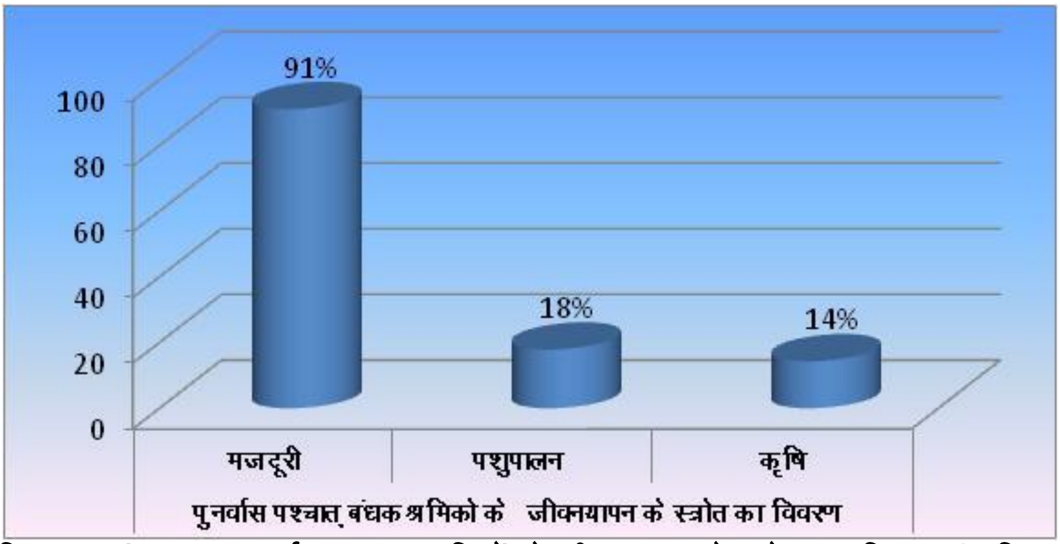

बार चित्रण क्रमांक 3.5.1 पुनर्वास पश्चात् श्रमिकों के जीवनयापन के स्त्रोत का विवरण (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.5.1)

अध्ययन हेतु चयनित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के अनुसार पुनर्वास पश्चात् जीवनयापन के स्त्रोत अन्तर्गत 91 प्रतिशत द्वारा मजदूरी, 18 प्रतिशत द्वारा पशुपालन एवं 14 प्रतिशत द्वारा कृषि कार्य बताया गया है।

3.5.2 पुनर्वास पश्चात् स्वयं के आवास की स्थिति

बार चित्रण क्रमांक 3.5.2 पुनर्वास पश्चात् बंधक श्रमिकों के स्वयं के आवास की स्थिति
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.5.2)

अध्ययन हेतु चयनित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों में से 86 प्रतिशत अनुसार उनके स्वयं के आवास होने की बात कही है।

3.5.3 पुनर्वास पश्चात् समस्याओं का विवरण

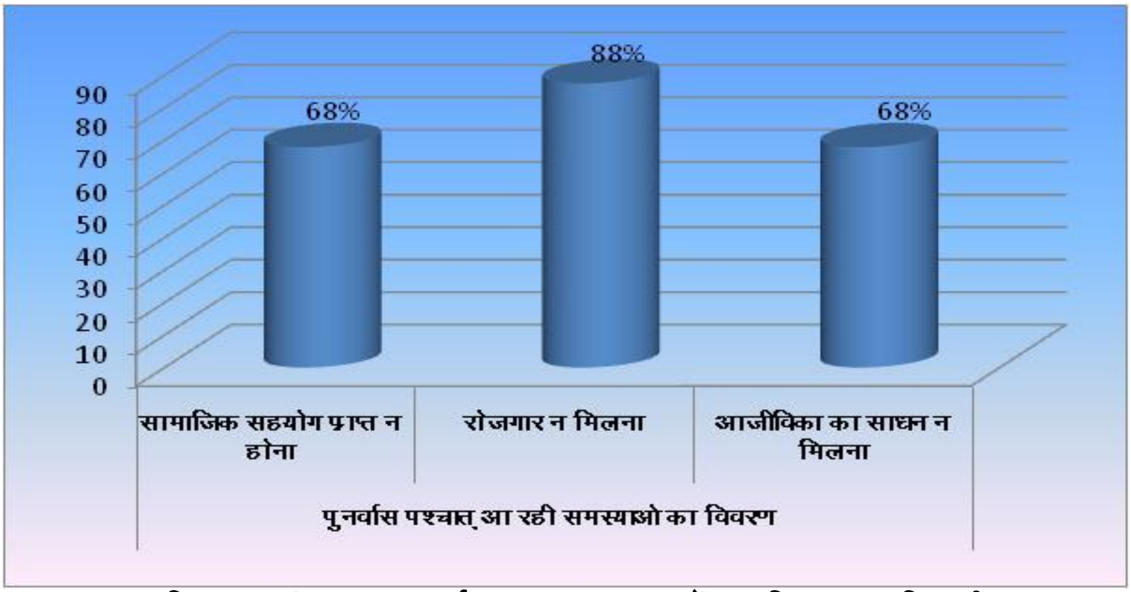

बार चित्रण क्रमांक 3.5.3 पुनर्वास पश्चात् समस्याओं का विवरण (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.5.3)

अध्ययन हेतु चयनित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के अनुसार 88 प्रतिशत को रोजगार न मिलना, क्रमशः 68 प्रतिशत को सामाजिक सहयोग प्राप्त न होना एवं आजीविका का साधन जैसे– पशुपालन, व्यवसाय आदि न होना पुनर्वास पश्चात् समस्याओं के मुख्य कारण बताये गये हैं।

3.6 सतर्कता समितियों के कार्यो का विवरण

3.6.1 जिले में सतर्कता समितियों के गठन की स्थिति

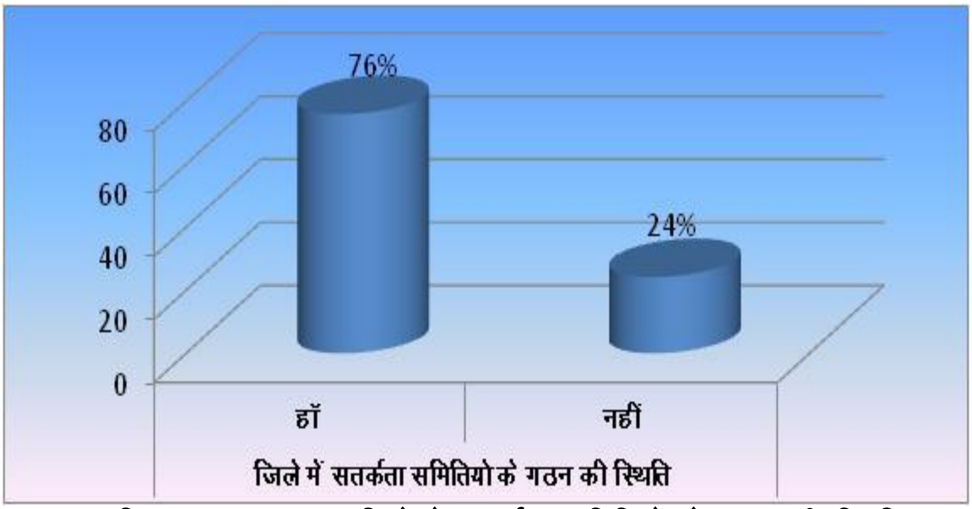

बार चित्रण क्रमांक 3.6.1 जिले में सतर्कता समितियों के गठन की स्थिति
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.6.1)

अध्ययन हेतु चयनित जिला श्रम पदाधिकारियों में से 24 प्रतिशत के अनुसार उनके जिलों में जिला स्तरीय तथा उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियाँ गठित नहीं हैं।

3.6.2 सतर्कता समितियों की नियमित बैठकों की स्थिति

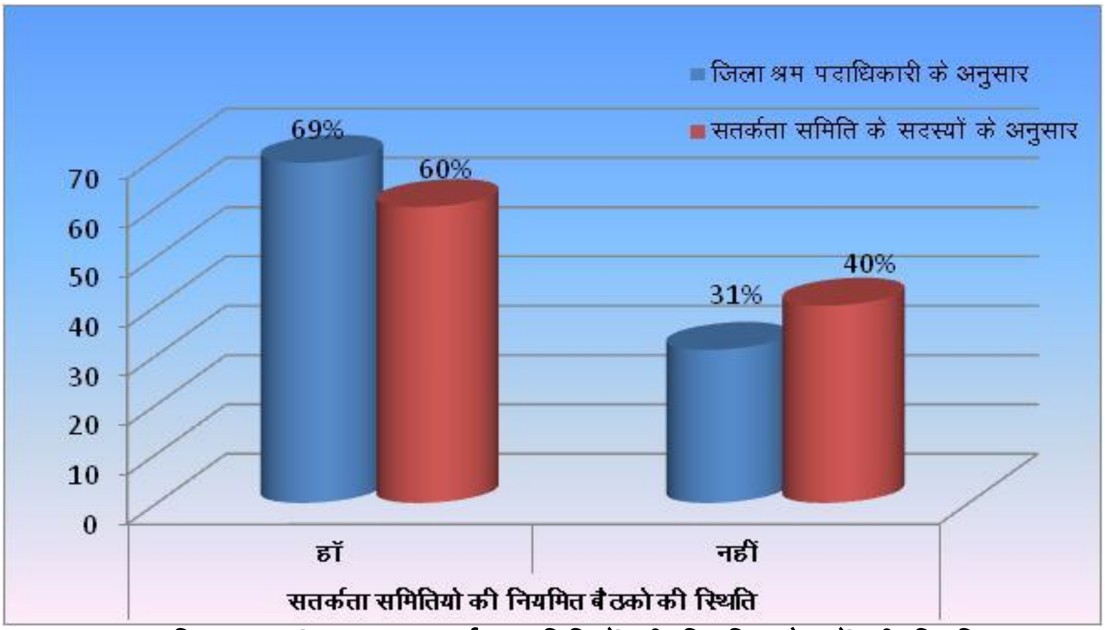

बार चित्रण क्रमांक 3.6.2 सतर्कता समितियों की नियमित बैठकों की स्थिति
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.6.2)

अध्ययन हेतु चयनित जिला श्रम पदाधिकारियों में से 31 प्रतिशत द्वारा तथा चयनित सतर्कता समिति के सदस्यों में से 40 प्रतिशत द्वारा जिले एवं उपखण्ड स्तर पर गठित सतर्कता समितियों की बैठकें नियमित नही हो रहीं हैं।

3.6.3 सतर्कता समिति की बैठकों मे सदस्यों की भागीदारी की स्थिति

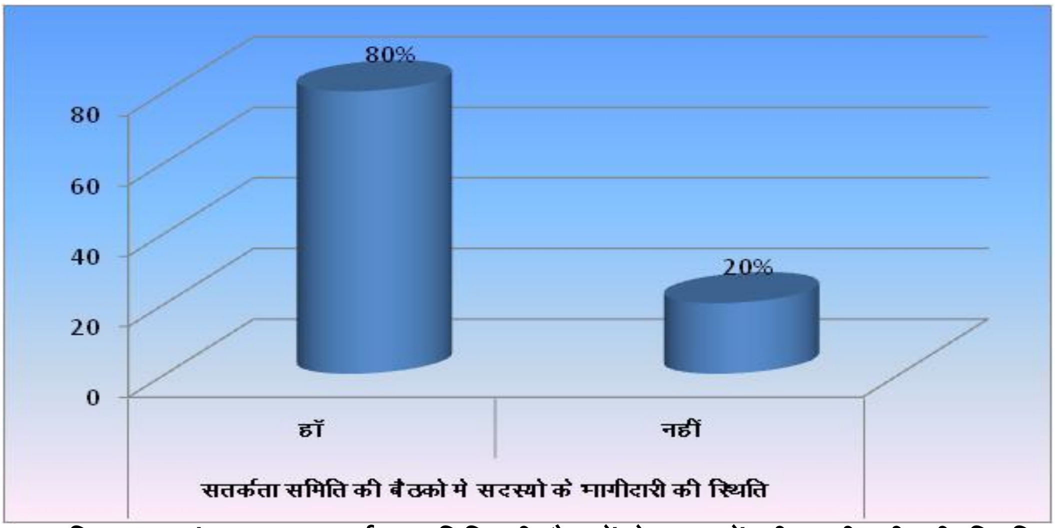

बार चित्रण क्रमांक 3.6.3 सतर्कता समिति की बैठकों मे सदस्यों की भागीदारी की स्थिति
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.6.3)

अध्ययन हेतु चयनित सतर्कता समिति के सदस्यों मे से 80 प्रतिशत द्वारा सतर्कता समिति की बैठकों मे उनके द्वारा भागीदारी की बात कही है।

3.6.4 सतर्कता समितियों द्वारा किये गये कार्यो का विवरण

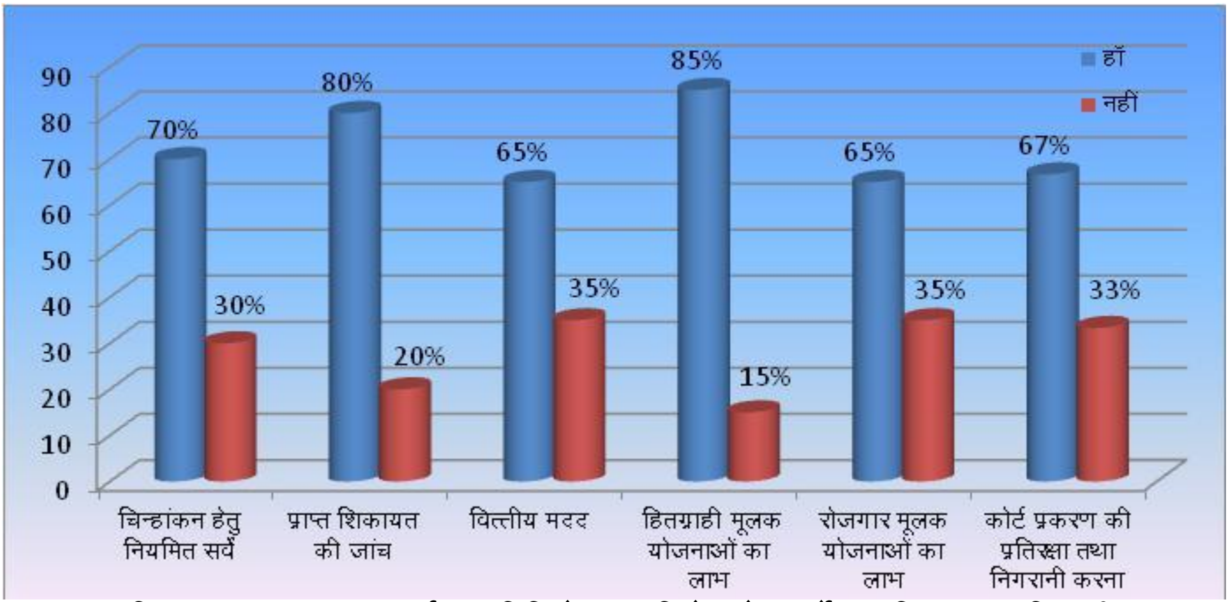

बार चित्रण क्रमांक 3.6.4 सतर्कता समितियों द्वारा किये गये कार्यो का विवरण (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.6.4)

सतर्कता समिति द्वारा बंधक श्रमिकों को चिन्हित, उनकी विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु किये जा रहें कार्यों के अन्तर्गत अध्ययन हेतु चयनित सतर्कता समिति के सदस्यों में से 70 प्रतिशत द्वारा चिन्हांकन हेतु नियमित सर्वे किये जाना, 80 प्रतिशत द्वारा प्राप्त शिकायत की जाँच गोपनीय तरीके से कराई जाना, 65 प्रतिशत द्वारा आर्थिक पुनर्वास के अन्तर्गत ग्रामीण बैंकों और सहकारी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय मदद् प्राप्त कराई जाना, 85 प्रतिशत द्वारा सामाजिक पुनर्वास अन्तर्गत हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ प्राप्त करवाया जाना, 65 प्रतिशत द्वारा रोजगारमूलक योजनाओं का लाभ प्राप्त कराया जाना एवं 67 प्रतिशत द्वारा बंधक श्रमिकों के नियोक्ताओं को दण्डित किये जाने हेतु कोर्ट प्रकरण की प्रतिरक्षा तथा निगरानी करना बताया गया है।

3.7 कोर्ट प्रकरणों की स्थिति

3.7.1 बंधक श्रमिकों के नियोजकों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण

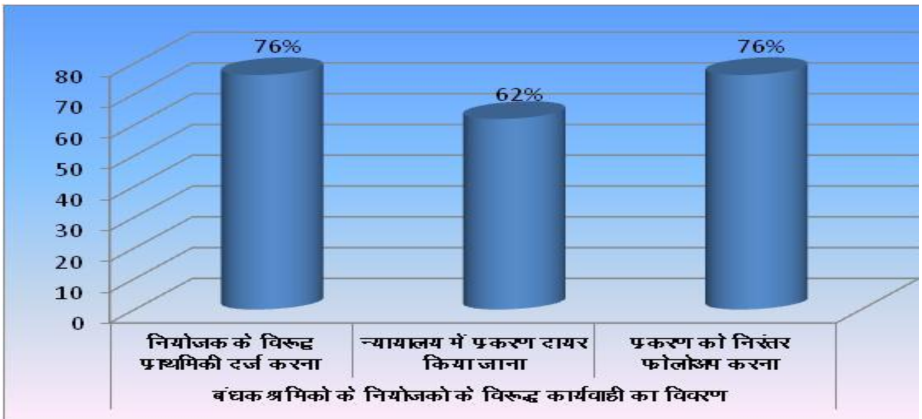

बार चित्रण क्रमांक 3.7.1 बंधक श्रमिकों के नियोजकों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.71)

अध्ययन हेतु चयनित जिला श्रम पदाधिकारियों में से नियोजकों के विरूद्ध कार्यवाही अन्तर्गत क्रमशः 76 प्रतिशत द्वारा नियोजक के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज कराया जाना एवं प्रकरण के निरंतर फोलोअप कराया जाना तथा 62 प्रतिशत द्वारा न्यायालय में प्रकरण दायर कराया जाना बताया गया है।

3.8 बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु प्रयास

3.8.1 बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की स्थिति

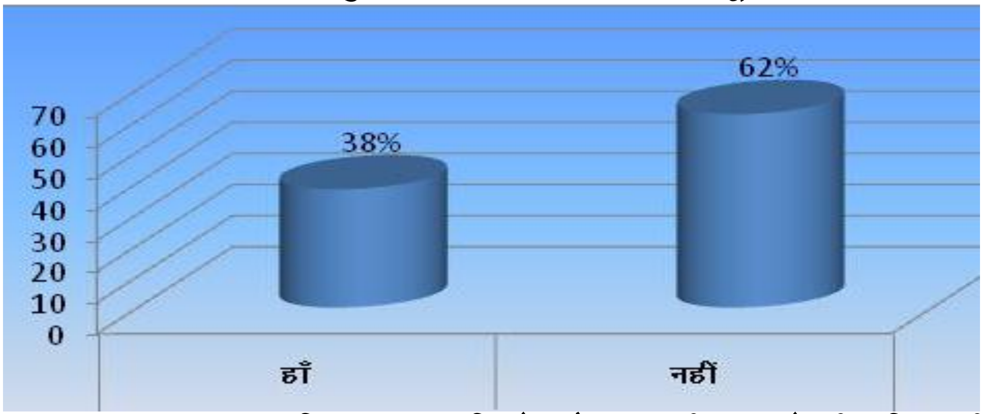

बार चित्रण क्रमांक 3.8.1 बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की स्थिति
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.8.1)

अध्ययन हेतु चयनित जिला श्रम पदाधिकारियों में से 38 प्रतिशत अनुसार जिले में गैर सरकारी संगठनों की बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु भूमिका है।

3.8.2 बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु किये गये प्रयासों की स्थिति

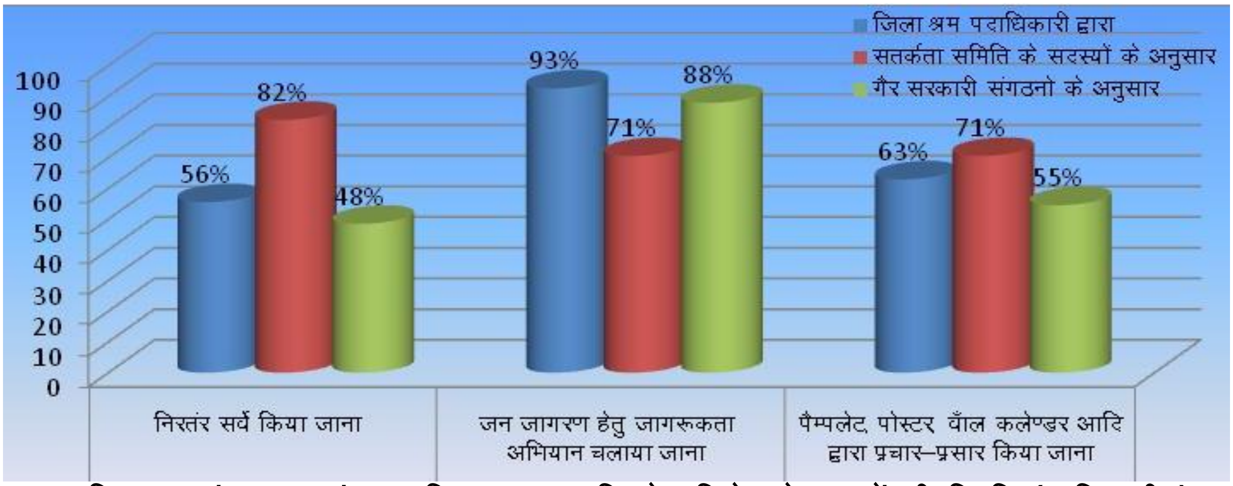

बार चित्रण क्रमांक 3.8.2 बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु किये गये प्रयासों की स्थिति (बहुविकल्पीय)
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.8.2)

अध्ययन हेतु चयनित **जिला श्रम पदाधिकारियों** के अनुसार बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु किये गये प्रयासों के अन्तर्गत 93 प्रतिशत द्वारा जन–जागरण हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाना, 63 प्रतिशत द्वारा पैम्पलेट, पोस्टर, वॉल कलेण्डर आदि द्वारा प्रचार–प्रसार किया जाना एवं 56 प्रतिशत द्वारा निरतंर सर्वे किया जाना बताया गया। अध्ययन हेतु चयनित **सतर्कता समिति के सदस्यों** के अनुसार बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु किये गये प्रयासों के अन्तर्गत 82 प्रतिशत द्वारा निरतंर सर्वे किया जाना तथा क्रमशः 71 प्रतिशत द्वारा जन–जागरण हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाना एवं पैम्पलेट, पोस्टर, वॉल कलेण्डर आदि द्वारा प्रचार–प्रसार किया जाना बताया गया। अध्ययन हेतु चयनित **गैर सरकारी संगठनों** के अनुसार बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु किये गये प्रयासों के अन्तर्गत 88 प्रतिशत द्वारा जन–जागरण हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाना, 55 प्रतिशत द्वारा पैम्पलेट, पोस्टर, वॉल कलेण्डर आदि द्वारा प्रचार–प्रसार किया जाना एवं 48 प्रतिशत द्वारा निरतंर सर्वे किया जाना बताया गया।

3.9 शासन द्वारा विमुक्ति एवं पुनर्वास के प्रयासों से संतुष्टी की स्थिति

3.9.1 शासन द्वारा विमुक्ति एवं पुनर्वास के प्रयासों से संतुष्टी की स्थिति

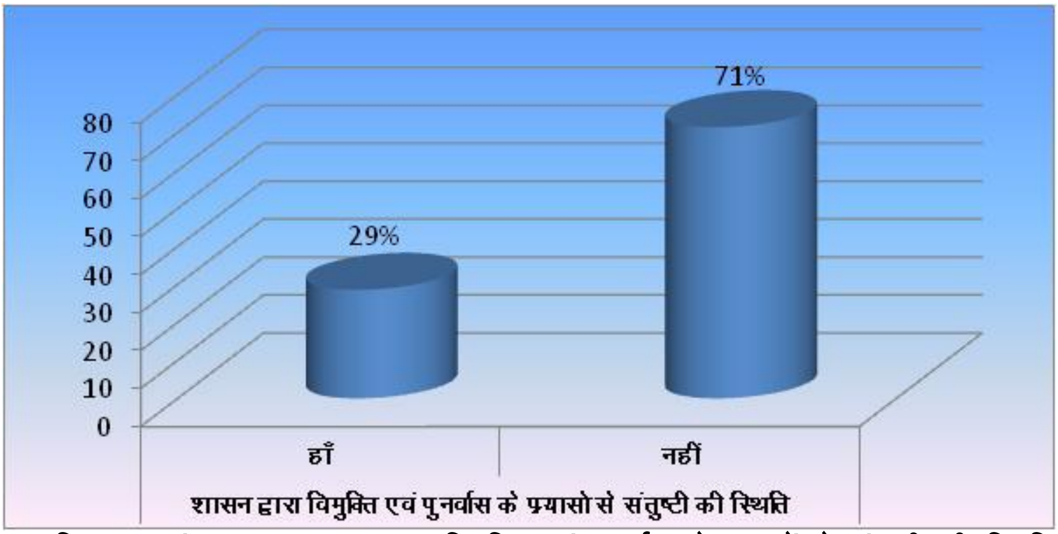

बार चित्रण क्रमांक 3.9.1 शासन द्वारा विमुक्ति एवं पुनर्वास के प्रयासों से संतुष्टी की स्थिति
(संदर्भ परिशिष्ट–1 तालिका क्रमांक 3.9.1)

अध्ययन हेतु चयनित उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के अनुसार 71 प्रतिशत शासन द्वारा विमुक्ति एवं पुनर्वास के प्रयासों से असंतुष्ट है।

अध्याय–4

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर ''**बंधक श्रमिक उन्मूलन योजना**'' के विभिन्न पहलुओं पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ निष्कर्षों के अनुरूप अनुशंसाएं दी गई हैं। परिणामों से स्पष्ट होता है कि योजना की पहुँच को बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किये गये हैं। अध्ययन के निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं:–

4.1 निष्कर्ष

4.1.1 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

- अध्ययन के परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश (60 प्रतिशत) उन्मुक्त बंधक श्रमिक परिवार के साथ बंधक अवस्था में थे।
- अध्ययन अनुसार बंधक श्रमिकों मे महिलाएं (36 प्रतिशत) भी हैं।
- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि बंधक श्रमिकों मे अधिकतम (80 प्रतिशत) आयु वर्ग 19–55 वर्ष से हैं। बंधक श्रमिक में आयु वर्ग 18 वर्ष से कम (18 प्रतिशत) और 55 वर्ष से अधिक (02 प्रतिशत) भी हैं।
- अध्ययन के परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश (77 प्रतिशत) उन्मुक्त बंधक श्रमिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं।
- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश (53 प्रतिशत) उन्मुक्त बंधक श्रमिक प्राथमिक अथवा माध्यमिक से कम तक शिक्षित हैं।
- अध्ययन अनुसार अधिकांश (77 प्रतिशत) उन्मुक्त बंधक श्रमिक विवाहित हैं।
- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि लगभग शत् प्रतिशत श्रमिकों द्वारा उनके बंधक श्रमिक होने का मुख्य कारण बेरोजगारी है।
- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि कुछ (23 प्रतिशत) बंधक श्रमिकों द्वारा नगद ऋण भी लिया गया उनमें से अधिकांश (83 प्रतिशत) द्वारा गरीबी/स्वयं उपयोग हेतु ऋण लिया गया। अन्य उपयोग जैसे बीमारी (33 प्रतिशत) तथा विवाह कार्य (17 प्रतिशत) हेतु भी बंधक श्रमिकों द्वारा नगद ऋण लिया गया। अधिकांश (50 प्रतिशत) उन्मुक्त बंधक श्रमिकों द्वारा रूपये 5,000/– तक नगद ऋण लिया गया।
- अध्ययन अनुसार अधिकांश उन्मुक्त बंधक श्रमिकों द्वारा निर्माण कार्य (89 प्रतिशत) जैसे–भवन निर्माण, खदान/स्टोन क्रशर, ईट/चूना भट्टे आदि एवं कृषि मजदूरी (76 प्रतिशत) तथा होटल/ढाबे (51 प्रतिशत) जैसे क्षेत्रों में बंधक अवधि में कार्य किया गया।
- अधिकांश (77 प्रतिशत) उन्मुक्त बंधक श्रमिक एक वर्ष से कम अवधि मे बंधक थे।
- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि कुछ (11 प्रतिशत) उन्मुक्त बंधक श्रमिकों को ही ''बंधक श्रमिक प्रथा'' के बारे में जानकारी है।

4.1.2 बंधक श्रमिको की चिन्हाकंन प्रक्रिया

- अध्ययन से प्राप्त परिणामों को सम्पूर्णता में देखने पर प्रतीत होता है कि लगभग समस्त जिला श्रम पदाधिकारियों (96 प्रतिशत) तथा गैर सरकारी संगठनों (97 प्रतिशत) अनुसार उनके जिले मे बेरोजगारी/ आजीविका चलाने हेतु बंधक श्रमिकों के प्रकरण पाये जाने का मुख्य कारण है। नगद ऋण लिया जाना, ऋण वस्तु (पशुधन, अनाज आदि) के रूप में तथा अन्य प्रदेश से आये हुए भी बंधक श्रमिकों के प्रकरण पाये जाने के अन्य कारण हैं।
- अध्ययन अनुसार अधिकांश जिला श्रम पदाधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों के अनुसार उनके जिले में मुख्य रूप से निर्माण कार्य जैसे– भवन निर्माण, खदान/स्टोन क्रशर, ईट/चूना भट्टे आदि क्षेत्रों मे बंधक श्रमिकों के प्रकरण पाये गये हैं। कृषि मजदूरी तथा होटल/ढाबे भी बंधक श्रमिकों के प्रकरण पाये जाने के अन्य कार्यस्थल हैं।
- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि सर्वे द्वारा बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन की जानकारी प्राप्त होने का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम (जिला श्रम पदाधिकारियों–48 प्रतिशत तथा गैर सरकारी संगठनों–24 प्रतिशत) है।
- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन हेतु निरंतर सर्वे किये जाने का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम (जिला श्रम पदाधिकारियों–52 प्रतिशत तथा गैर सरकारी संगठनों–60 प्रतिशत) है।
- अध्ययन अनुसार अधिकांश जिला श्रम पदाधिकारियों के अनुसार उनके जिले मे बंधक श्रमिकों को चिन्हित किये जाने हेतु मुख्य समस्या बंधक श्रमिकों से सम्बंधित गलत जानकारी प्राप्त होना (96 प्रतिशत) है। बंधक श्रमिक के द्वारा मर्जी से कार्य किए जाने को स्वीकार करना (52 प्रतिशत) तथा नियोजक द्वारा सहयोग न करना (30 प्रतिशत) भी अन्य समस्याएं हैं।
- अध्ययन अनुसार अधिकांश गैर सरकारी संगठनों के अनुसार बंधक श्रमिकों को चिंन्हित किये जाने हेतु मुख्य समस्या नियोजक द्वारा सहयोग न करना (69 प्रतिशत) एवं बंधक श्रमिक के द्वारा मर्जी से कार्य किए जाने को स्वीकार करना (66 प्रतिशत) है। शासन द्वारा सहयोग प्राप्त न होना (53 प्रतिशत), गलत जानकारी प्राप्त होना (28 प्रतिशत) तथा पुलिस सहायता पूर्ण रूप मे प्राप्त न होना (13 प्रतिशत) भी अन्य समस्याएं हैं।

4.1.3 बंधक श्रमिकों की नियोजकों से विमुक्ति प्रक्रिया

- अध्ययन अनुसार अधिकांश उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के अनुसार उनकी नियोजकों से विमुक्ति हेतु शासन द्वारा (68 प्रतिशत) तथा गैर सरकारी संगठन द्वारा (52 प्रतिशत) मदद् प्राप्त हुई। कुछ उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के अनुसार ग्रामीण मित्र/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा मदद् तथा स्वयं के प्रयासो से भी उनको नियोजकों से विमुक्ति प्राप्त हुई।

- अधिकांश जिला श्रम पदाधिकारियों (79 प्रतिशत) के अनुसार नियोजक द्वारा सहयोग न करना तथा बंधक श्रमिक द्वारा अपनी मर्जी से कार्य किए जाने को स्वीकार करना जिले में बंधक श्रमिकों की नियोजकों से विमुक्ति की मुख्य समस्याएँ हैं।
- अधिकांश **उन्मुक्त बंधक श्रमिकों** के अनुसार विमुक्ति उपरांत तत्काल राहत हेतु सहायता में उन्हें विमुक्ति प्रमाण–पत्र (86 प्रतिशत), पुलिस अभिरक्षा प्रदान करना (59 प्रतिशत) तथा उनका स्वास्थ्य परिक्षण (63 प्रतिशत) है। विमुक्ति उपरांत अन्य तत्काल राहत हेतु सहायता के अन्तर्गत उनके निवास स्थान पर भेजने की व्यवस्था (54 प्रतिशत) एवं जीवन निर्वाह हेतु राशि रू 20,000/– (46 प्रतिशत) प्रदान की गई।
- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश **जिला श्रम पदाधिकारियों** के अनुसार विमुक्ति उपरांत तत्काल राहत हेतु सहायता में बंधक श्रमिकों को विमुक्ति प्रमाण–पत्र (97 प्रतिशत) प्रदान करना, बंधक श्रमिकों का स्वास्थ्य परिक्षण करवाना (76 प्रतिशत), उनके निवास स्थान पर भेजने की व्यवस्था करवाना (62 प्रतिशत), पुलिस अभिरक्षा प्रदान करवाना (62 प्रतिशत) एवं उनके जीवन निर्वाह हेतु राशि रू 20,000/– (52 प्रतिशत) प्रदान करना है।

4.1.4 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की पुनर्वास प्रक्रिया

- अध्ययन अनुसार अधिकांश (59 प्रतिशत) उन्मुक्त बंधक श्रमिकों को पुनर्वास हेतु शासकीय मदद प्राप्त नही हुई।
- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि अधिकांश **उन्मुक्त बंधक श्रमिकों** के अनुसार पुनर्वास हेतु मुख्य सहायता के अंतर्गत उनके बच्चों के लिए स्कूल एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था (71 प्रतिशत) की गई है। अन्य सहायता में पुनर्वास हेतु वित्तीय मदद् के अंतर्गत उनका बैंक खाता खुलवाना (33 प्रतिशत), परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल (27 प्रतिशत), रोजगार की व्यवस्था (23 प्रतिशत) एवं उनके लिए आवास की व्यवस्था (13 प्रतिशत) कराई गई।
- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश **जिला श्रम पदाधिकारियों** के अनुसार पुनर्वास हेतु सहायता के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल एवं हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ प्राप्त कराया गया (79 प्रतिशत), बंधक श्रमिकों के आवास की व्यवस्था (76 प्रतिशत) तथा उनके बच्चों के लिए स्कूल एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था (72 प्रतिशत) मुख्य रूप से की गई। पुनर्वास हेतु अन्य सहायता के अंतर्गत रोजगार की व्यवस्था (55 प्रतिशत) की गई एवं वित्तीय मदद् के अंतर्गत उनका बैंक खाता खुलवाया गया (34 प्रतिशत)।
- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि अधिकांश **गैर सरकारी संगठनों** के अनुसार पुनर्वास हेतु सहायता के अंतर्गत बंधक श्रमिकों को हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ प्राप्त कराया गया (83 प्रतिशत), बंधक श्रमिकों के रोजगार की व्यवस्था (60 प्रतिशत) तथा वित्तीय मदद् के अंतर्गत उनका बैंक खाता खुलवाया (50 प्रतिशत) गया है। अन्य पुनर्वास हेतु सहायता के अंतर्गत उनके बच्चों के लिए स्कूल एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था

(33 प्रतिशत) की गई, परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल (30 प्रतिशत) तथा उनके आवास की व्यवस्था (17 प्रतिशत) की गई।

- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के अनुसार शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कराने हेतु जरूरी दस्तावेजों अन्तर्गत मुख्य रूप से आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र तथा मनरेगा जॉब कार्ड बनाये गए। शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कराने हेतु उनके अन्य जरूरी दस्तावेजों मे वोटर कार्ड, समग्र आई.डी., बी.पी. एल. कार्ड एवं अंत्योदय राशन कार्ड भी बनाये गए।
- जिला श्रम पदाधिकारियों के अनुसार बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु आ रही समस्याओं मे अधिकांश (83 प्रतिशत) आजीविका के साधन उपलब्ध कराने में देरी है। बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु आ रही अन्य समस्याओं मे शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करवाने में देरी (46 प्रतिशत), सहायता राशि उपलब्ध नही होना (33 प्रतिशत) तथा उनको आवास उपलब्ध कराने में देरी (25 प्रतिशत) भी है।
- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि गैर सरकारी संगठनों के अनुसार बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु आ रही मुख्य समस्याओं मे शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करवाने में देरी (85 प्रतिशत) तथा आजीविका के साधन उपलब्ध कराने में देरी (79 प्रतिशत) तथा आवास उपलब्ध कराने में देरी (61 प्रतिशत) है।

4.1.5 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की वर्तमान स्थिति

- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश उन्मुक्त बंधक श्रमिकों (91 प्रतिशत) के अनुसार पुनर्वास पश्चात् जीवनयापन का मुख्य स्त्रोत मजदूरी है। पुनर्वास पश्चात् जीवनयापन का अन्य स्त्रोत कृषि कार्य एवं पशुपालन भी हैं।
- अध्ययन अनुसार अधिकांश उन्मुक्त बंधक श्रमिकों (86 प्रतिशत) के स्वयं के आवास हैं।
- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि अधिकांश उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के अनुसार पुनर्वास पश्चात् समस्याओं के मुख्य कारण रोजगार न मिलना, सामाजिक सहयोग प्राप्त न होना एवं आजीविका का साधन न मिलना है।

4.1.6 सतर्कता समितियों का गठन एवं उनके कार्यो की स्थिति

- जिला श्रम पदाधिकारियों (24 प्रतिशत) के अनुसार उनके जिलों में जिला स्तरीय तथा समस्त उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियाँ गठित नहीं हैं।
- अध्ययन अनुसार जिला श्रम पदाधिकारियों (31 प्रतिशत) तथा सतर्कता समिति के सदस्यों (40 प्रतिशत) द्वारा जिले एवं समस्त उपखण्ड स्तर पर गठित सतर्कता समितियों की बैठकें नियमित नहीं हो रहीं हैं।
- अध्ययन अनुसार अधिकांश सतर्कता समिति के सदस्यों (80 प्रतिशत) द्वारा सतर्कता समिति की बैठकों मे उनकी भागीदारी रहती है।

- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश सतर्कता समिति के सदस्यों अनुसार सतर्कता समिति द्वारा बंधक श्रमिकों को चिन्हित, उनकी विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु कार्यों के अन्तर्गत चिन्हांकन हेतु नियमित सर्वे किये गये (70 प्रतिशत), प्राप्त शिकायत की जांच गोपनीय तरीके से कराई गई (80 प्रतिशत), आर्थिक पुनर्वास के अन्तर्गत ग्रामीण बैंकों और सहकारी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय मदद प्राप्त कराई गई (65 प्रतिशत), रोजगार मूलक योजनाओं का लाभ प्राप्त कराया गया (65 प्रतिशत), हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ प्राप्त कराया गया (85 प्रतिशत) एवं उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के नियोक्ताओं को दण्डित किये जाने हेतु कोर्ट प्रकरण की प्रतिरक्षा तथा निगरानी करना (67 प्रतिशत) बताया गया।
- अध्ययन अनुसार जिला श्रम पदाधिकारियों के द्वारा बंधक श्रमिकों के नियोजकों के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज कराना, नियोजकों के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर किया जाना एवं प्रकरण का निरंतर फोलोअप करना अपेक्षाकृत कम है। अध्ययन अंतर्गत ज्ञात हुआ है कि विगत तीन वर्षो में उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के नियोजकों के विरूद्ध किसी भी प्रकरण में दोष सिद्ध नही हुआ है।

4.1.7 बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु प्रयास

- जिला श्रम पदाधिकारियों अनुसार जिले में गैर सरकारी संगठनों की बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु सक्रियता अपेक्षाकृत कम (38 प्रतिशत) है।
- जिला श्रम पदाधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों एवं सतर्कता समिति के सदस्यों के अनुसार बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु सार्थक प्रयासों के अन्तर्गत जिले में निरतंर सर्वे किया जाना, जन जागरण हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाना एवं पैम्पलेट, पोस्टर, वॉल कलेण्डर आदि द्वारा प्रचार–प्रसार किया जाने की प्रमुखता से आवश्यकता है।

4.1.8 शासन द्वारा विमुक्ति एवं पुनर्वास के प्रयासों से संतुष्टी

- अध्ययन अनुसार अधिकांश बंधक श्रमिक (71 प्रतिशत) शासन द्वारा विमुक्ति एवं पुनर्वास के प्रयासों से असंतुष्ट हैं।

4.2 अनुशंसाएं

बंधक श्रमिक प्रथा न सिर्फ गम्भीर है बल्कि इसकी जड़ें समाज की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में गहराई में विद्यमान हैं, इस कारण इसके समाधान के लिये केवल एक दृष्टिकोण से सोचना अपर्याप्त होगा। चूंकि इस समस्या का कारण अनेक सामाजिक समस्यायें हैं अतः इसके समाधान के लिये विस्तृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बंधक श्रम समस्या के स्थाई समाधान के लिये अध्ययन अंतर्गत निष्कर्षो के अनुरूप निम्नलिखित प्रमुख अनुशंसाएं हैं:–

4.2.1 बंधक श्रमिकों की चिन्हाकंन प्रक्रिया के संदर्भ में

- अध्ययन अनुसार बंधक श्रमिक महिलाओं एवं परिवार के साथ बंधक अवस्था में थे, अतः शासन द्वारा बंधक श्रमिक होने से रोकने के लिए उनके परिवार के लिए रोजगार एवं आजीविका चलाने हेतु कौशल विकास की योजना का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है।

- अध्ययन अनुसार अधिकांश उन्मुक्त बंधक श्रमिक प्राथमिक अथवा माध्यमिक तक शिक्षित तथा बेरोजगार हैं, अतः शासन द्वारा स्थानीय स्तर पर उनके रोजगार की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।

- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि कुछ बंधक श्रमिकों द्वारा नगद ऋण भी लिया गया है, अतः शासन द्वारा स्थानीय स्तर पर ग्रामीण बैकों और सहकारी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय मदद् की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि अधिकांश उन्मुक्त बंधक श्रमिक निर्माण कार्य जैसे–भवन निर्माण, खदान/स्टोन क्रशर, ईट/चूना भट्टे आदि, कृषि मजदूरी तथा होटल/ढाबे जैसे क्षेत्रों मे पाये गये, अतः शासन द्वारा इन स्थानों पर निरंतर सर्वे किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन हेतु निरंतर सर्वे किये जाने का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। जिले मे स्थित गैर सरकारी संगठनों एवं सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भी बताया गया है कि बंधक श्रमिकों का उचित चिन्हांकन नही हो रहा है अतः शासन द्वारा जिला एवं समस्त उपखण्ड स्तर पर सघन एवं प्रभावी सर्वे की सुनिश्चित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। व्यापक पैमाने पर सर्वे किया जाने एवं प्राप्त शिकायत की गोपनीय और गहन जांच किये जाने हेतु जिला स्तर पर श्रम विभाग

अंतर्गत वाहन की व्यवस्था किये जाने की भी आवश्यकता है जिससे सर्वे मे संदिग्ध परिस्थितियों का सामना किया जा सके।

4.2.2 बंधक श्रमिकों की नियोजकों से विमुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में

- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि विमुक्ति उपरांत तत्काल राहत हेतु सहायता के अन्तर्गत उन्मुक्त बंधक श्रमिकों को उनके निवास स्थान पर भेजने की व्यवस्था एवं जीवन निर्वाह हेतु राशि रू 20,000/– प्रदान किये जाने का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है अतः शासन द्वारा उन्मुक्त बंधक श्रमिकों को तत्काल उनके निवास स्थान पर भेजने एवं जीवन निर्वाह हेतु राशि रू 20,000/– प्रदान किये जाने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।
- जिला श्रम पदाधिकारी अनुसार बंधक श्रमिकों की विमुक्ति हेतु जिले में पुलिस सहायता का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है अतः शासन स्तर पर पुलिस सहायता प्रदान किये जाने हेतु जिलों के पुलिस अधीक्षक को उक्त कार्य के लिए निर्देशित किये जाने की आवश्यकता है।

4.2.3 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के पुनर्वास की सुदृढ़ व्यवस्था

- उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु शासकीय मदद् प्राप्त होने की संख्या अपेक्षाकृत कम है, अतः उनके प्रभावी पुनर्वास हेतु सर्वप्रथम उनके रोजगार एवं आवास की व्यवस्था तथा आर्थिक पुनर्वास अन्तर्गत ग्रामीण बैंकों अथवा सहकारी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय मदद् सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

- समस्त उन्मुक्त बंधक श्रमिकों को शासन की योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त कराने हेतु जरूरी दस्तावेजों अन्तर्गत अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, समग्र आई.डी., बी.पी.एल. कार्ड एवं अंत्योदय राशन कार्ड बनाये जाने की आवश्यकता है।

- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के प्रभावी पुनर्वास हेतु आ रही समस्याओं मे मुख्यतः आजीविका के साधन उपलब्ध कराने में देरी है अतः शासन द्वारा उन्मुक्त बंधक श्रमिकों को आजीविका के साधन तत्काल उपलब्ध कराये जाने की नितांत आवश्यकता है।

- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि अधिकांश उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के अनुसार पुनर्वास पश्चात् जीवनयापन का मुख्य स्त्रोत मजदूरी ही है अतः शासन द्वारा उनके जीवनयापन के स्थाई एवं नियमित स्त्रोत जैसे– व्यवसाय, पशुपालन, रोजगार, आदि की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है साथ ही साथ कल्याणकारी एवं

रोजगार मूलक योजनायें जैसे– संबल योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत पटट्ा दिया जाना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आदि का लाभ प्राप्त कराया जाये।

- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि अधिकांश बंधक श्रमिक शासन द्वारा पुनर्वास के प्रयासों से असंतुष्ट हैं अतः उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के प्रभावी पुनर्वास हेतु स्थायी रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने की नितांत आवश्यकता है। उन्मुक्त बंधक श्रमिकों को सर्वप्रथम मनरेगा योजना के अंतर्गत सुनिश्चित रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है।

- उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की कार्य क्षमता अनुसार स्वरोजगार के लिए उनके कौशल विकास हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनको आत्मनिर्भर बनाया जाने की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु श्रम विभाग के विभागीय बजट में राशि का प्रावधान तथा रोजगार हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण को प्रभावी पुनर्वास अंतर्गत अनिवार्य किये जाने की आवश्यकता है। उन्मुक्त बंधक श्रमिकों को सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ''प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना'' के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान भी किये जाने की आवश्यकता है।

- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि अधिकांश उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के अनुसार पुनर्वास पश्चात् सामाजिक सहयोग प्राप्त न होना भी समस्या है अतः शासन द्वारा उनको समाज से जोड़ने के लिए ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में इनकी भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

- जिलों में विगत पाँच वर्षो की अवधि में पुनर्वासित बंधक श्रमिकों के लिए कल्याण शिविर का आयोजन सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

4.2.4 सतर्कता समितियों के गठन एवं उनके कार्यो के संदर्भ में

- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि जिलों में जिला स्तरीय तथा समस्त उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों के गठन की संख्या कम है। बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा–13 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों मे ''जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समितियों'' का गठन अनिवार्य है। अतः शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाए की प्रदेश के समस्त जिलों मे जिला स्तरीय तथा समस्त उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियाँ अनिवार्य रूप से गठित की जाए।

- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि जिलों में सतर्कता समितियों की बैठकें अनियमित हैं। बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा–13 के प्रावधानों के अंतर्गत

''जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समितियों'' की बैठकों का आयोजन हर तीन माह में अनिवार्य है। अतः प्रदेश के जिले जहॉ बधंक श्रमिकों की संख्या अधिक है, वहॉ जिला स्तरीय तथा समस्त उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों को सक्रिय कर हर तीन माह में समिति की बैठक का आयोजन सुनिश्चित किया जावे।

- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि जिलों में सतर्कता समितियों की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति कम रहती है अतः विभाग द्वारा सदस्यों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

- योजना के प्रावधान अनुसार सतर्कता समिति के सदस्यों द्वारा सर्वे एवं प्राप्त शिकायत की जांच प्रभावी रूप से कराई जाने हेतु उन्हें अधिकार कार्ड/पहचान पत्र/प्राधिकृति कार्ड उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

- उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के प्रभावी पुनर्वास हेतु स्थानीय स्तर पर सतर्कता समिति द्वारा सतत् निगरानी (मॉनीटिरिंग) करने की आवश्यकता है जिससे श्रमिक को पुनः बंधक होने से रोका जा सके।

- अध्ययन के परिणाम दर्शाते है कि बंधक श्रमिकों के नियोजकों के विरूद्व न्यायालय में प्रकरण दायर किये जाने मे देरी हो रही है तथा सतर्कता समितियों द्वारा प्रकरणों का निरंतर फोलोअप नहीं हो रहा है अतः योजना के प्रावधान अनुसार शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों मे नियोजकों के विरूद्व तत्काल न्यायालय में प्रकरण दायर कर प्रकरण का निरंतर फोलोअप सुनिश्चित किया जावे। इन प्रकरणों के शीघ्र–अति–शीघ्र निराकरण करने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।

4.2.5 योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव

- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि प्रदेश में बंधुआ मजदूरी का एक कारण लघु ऋण भी है अतः वित्तीय आपात स्थिति में जरूरतमंद श्रमिकों को स्थानीय समुदाय स्तर पर बचत और साख समितियों के द्वारा वित्तीय ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

- स्थानीय स्तर पर बारह महीने रोजगार मिलना मुश्किल होता है, इसलिये श्रमिक रोजगार के लिये पलायन करते हैं एवं गंभीर परिस्थितियों में फंस जाते हैं अतः ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के पलायन को रोकने एवं रोजगार की निरन्तरता बनाए जाने हेतु स्थानीय स्तर पर आजीविका के लिए स्वरोजगार की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। कृषि आधारित कुटीर उद्योग अथवा लघु वन–उपज कार्य द्वारा स्वरोजगार की व्यवस्था भी की जा सकती है।

- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि उन्मुक्त बंधक श्रमिकों को ''बंधक श्रमिक प्रथा'' के बारे में जानकारी का अभाव है तथा प्रदेश में विगत वर्षों में भी बंधक श्रमिक पाये गये हैं, अतः शासन द्वारा बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु सार्थक प्रयासों के अन्तर्गत जन–जागरण हेतु सघन जागरूकता अभियान चलाया जाना एवं पैम्पलेट, पोस्टर, वॉल कलेण्डर आदि द्वारा प्रचार–प्रसार किया जाने की प्रमुखता से आवश्यकता है। जन–जागरण हेतु जिले के गैर सरकारी संगठनों, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रदेश के हर जिले में बनाये गये ''आयोग मित्र'' का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में रेडियो जिंगल का निर्माण कर विविध भारती एवं आकाशवाणी के प्रायमरी चेनलों पर प्रसारण कराये जाने की आवश्यकता है। उक्त प्रसारण में बंधक श्रमिक पुनर्वास हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी का प्रसारण भी किया जा सकता है।

- अध्ययन मे बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, उनकी विमुक्ति एवं पुनर्वास के पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु श्रम विभाग द्वारा निर्मित ''लिबर्टी पोर्टल'' से सम्बंधित जानकारी का अभाव भी देखा गया। जिस उद्देश्य को लेकर पोर्टल बनाया गया है उसकी सही जानकारी नागरिकों में नहीं है अतः लिबर्टी पोर्टल को और अधिक प्रभावशाली बनाए जाने हेतु प्रचार–प्रसार किया जाने की प्रमुखता से आवश्यकता है। प्रदेश स्तर पर पोर्टल द्वारा कोर्ट प्रकरणों की निगरानी (ट्रैकिंग) व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किये जाने की नितांत आवश्यकता है।

- उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के प्रभावी पुनर्वास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों मे विकासखण्ड़ संसाधन केंन्द्रों अथवा सामुदायिक प्रशिक्षण केंन्द्रों में स्थानीय स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न किये जाने हेतु व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। आवासहीन उन्मुक्त बंधक श्रमिकों को आवास हेतु भूखण्ड तथा आवास निर्माण हेतु सहायता भी प्रदान की जा सकती है।

- जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय समिति के प्रत्येक सदस्य को बंधक श्रमिक उन्मूलन योजना से संबंधित जानकारी, परिपत्र आदि उपलब्ध करवाये जाने एवं वर्ष में एक बार प्रत्येक सदस्य के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन कराये जाने की आवश्यकता है, जिससे योजना से संबंधित कानूनी पहलू, बंधक श्रमिकों का सर्वे, उनकी विमुक्ति, पुनर्वास, पुनर्वास पश्चात् देख–रेख एवं उन पर निगरानी संबंधी विषयों पर सदस्यों को जानकारी प्राप्त हो सके।

- बंधक श्रमिक उन्मूलन योजना के विभिन्न पहलूओं पर संवेदीकरण (Sensitization) हेतु राज्य के विभिन्न संवेदनशील जिलों की सतर्कता समितियों के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों एवं सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष कार्यशाला का आयोजन किये जाने की आवश्यकता है।

- अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि जिले में गैर सरकारी संगठनों की बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु सक्रियता अपेक्षाकृत कम है, अतः शासन द्वारा बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि बंधक श्रमिक नियोजक के भय के कारण सहयोग नहीं करते हैं अतः नियोजकों के विरूद्ध कोर्ट प्रकरण के निराकरण होने तक उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की सुरक्षा हेतु उनके निवास स्थान पर पुलिस अभिरक्षा की व्यवस्था की जावे।

- बंधक श्रमिकों के पुनर्वास की अवधी अधिक होने पर उनके पुनः बंधक श्रमिक बनने की सम्भावना रहती है अतः राज्य शासन को शीघ्र–अति–शीघ्र तय समय–सीमा में पुनर्वास के प्रभावी कार्यवाही किये जाने की नितांत आवश्यकता है। श्रम विभाग द्वारा ''मध्यप्रदेश **लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम**, **2010**'' अंतर्गत ''उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सुनिश्चित रोजगार'' निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराया जाना शामिल किया जावे।

- संवेदनशील जिलों मे बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, उनकी विमुक्ति एवं पुनर्वास तथा नियोजकों के विरूद्ध न्यायालय प्रकरण से सम्बंधित बिंदुओं को जिला कलेक्टर द्वारा आयोजित मासिक समिक्षा बैठकों की कार्यसूची में शामिल किया जावे।

- बंधक श्रमिकों के नियोजकों के विरूद्ध कोर्ट प्रकरण के निराकरण उपरांत नियोजक के दोषी पाये जाने पर शासन द्वारा नियोजक के प्रतिष्ठान/संस्थान के लाइसेंस को निलंबित किये जाने की आवश्यकता है।

- जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों मे बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, उनकी विमुक्ति एवं पुनर्वास के विषय को अनिर्वाय रूप से शामिल किये जाने की आवश्यकता है।

- उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के प्रभावी पुनर्वास हेतु केन्द्रिय एवं राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न गरीबी हटाओ योजनाओं (Poverty Alleviation Schemes) का एकीकरण (Integration) ''बंधक श्रमिक उन्मुक्त योजना'' के साथ किये जाने की आवश्यकता है।

परिशिष्ट–1

अध्ययन से संबंधित परिणाम तालिकाएं

भाग –3.1 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

तालिका क्रमांक 3.1.1 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की बंधक अवस्था की स्थिति

परिवार के साथ	स्वयं
60%	40%

तालिका क्रमांक 3.1.2 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों का लिंगानुपात

पुरूष	महिला
64%	36%

तालिका क्रमांक 3.1.3 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की आयु का वर्गीकरण (वर्षो में)

10 से कम	10–18	19–25	26–35	36–45	46–55	55 से अधिक
4%	14%	30%	29%	17%	4%	2%

तालिका क्रमांक 3.1.4 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों का जातिगत वर्गीकरण

सामान्य	अनुसुचित जनजाति	अनुसुचित जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अन्य
5%	26%	51%	7%	11%

तालिका क्रमांक 3.1.5 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की शारीरिक विकलांगता की स्थिति

हाँ	नही
2%	98%

तालिका क्रमांक 3.1.6 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की शैक्षणिक योग्यता

अनपढ़	प्राथमिक से कम	प्राथमिक अथवा माध्यमिक से कम	माध्यमिक अथवा मैट्रिक से कम
34%	11%	53%	2%

तालिका क्रमांक 3.1.7 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों की वैवाहिक स्थिति

अविवाहित	शादीशुदा
23%	77%

तालिका क्रमांक 3.1.8 बंधक श्रमिक होने के कारणों की स्थिति

(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–56) (बहुविकल्पीय)

बेरोजगारी /आजीविका हेतु	पुर्वजों द्वारा नगद ऋण लिया गया	स्वंय के द्वारा नगद ऋण लिया गया
98%	7%	16%
55	4	9

तालिका क्रमांक 3.1.9 नगद ऋण लेने के कारणों एवं नगद राशि की स्थिति

(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–6) (बहुविकल्पीय)

गरीबी /स्वयं उपयोग	स्वयं के विवाह के लिय	पुत्र/पुत्री के विवाह के लिए	बीमारी
83%	17%	17%	33%
5	1	1	2

रू. 5,000 तक	रू. 5,000 से रू. 15,000	रू. 15,000 से ज्यादा
50%	33%	17%

तालिका क्रमांक 3.1.10 बंधक श्रमिक अवधि में किये गये कार्य (बहुविकल्पीय)

(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–55) (बहुविकल्पीय)

कृषि मजदूरी	ईट/चूना भट्टा	निर्माण कार्य	खदान/स्टोन क्रशर	होटल/ढाबे
76%	27%	31%	31%	51%
42	15	17	17	28

तालिका क्रमांक 3.1.11 बंधक श्रमिक होने की समय अवधि

1 वर्ष से कम	1–5 वर्ष
77%	23%

तालिका क्रमांक 3.1.12 बंधक श्रमिक प्रथा के संबंध में जागरूकता की स्थिति

हाँ	नही
11%	89%

भाग –3.2बंधक श्रमिकों के चिन्हाकंन प्रक्रिया की स्थिति

तालिका क्रमांक 3.2.1 बंधक श्रमिकों के प्रकरण पाये जाने के कारणों का विवरण

(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–23) (बहुविकल्पीय)

उत्तरदाता	बेरोजगारी	पुर्वजों द्वारा नगद ऋण	स्वयं द्वारा नगद ऋण	ऋण वस्तु (पशुधन, अनाज आदि) के रूप में	अन्य प्रदेश से आये हुए
जिला श्रम पदाधिकारियों द्वारा	96%	26%	39%	–	26%
	22	6	9	–	6
(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–33) (बहुविकल्पीय)					
गैर सरकारी संगठनों के द्वारा	97%	21%	30%	24%	9%
	32	7	10	8	3

तालिका क्रमांक 3.2.2 बंधक श्रमिकों के कार्यस्थल का विवरण(बहुविकल्पीय)

(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–20) (बहुविकल्पीय)

उत्तरदाता	कृषि मजदूरी	ईट/चूना भट्टा	निर्माण काय	खदान/स्टोन क्रशर	होटल/ढाबा	अन्य
जिला श्रम पदाधिकारियों द्वारा	70%	45%	35%	25%	40%	–
	14	9	7	5	8	–
(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–34) (बहुविकल्पीय)						
गैर सरकारी संगठनों के द्वारा	82%	29%	32%	47%	53%	6%
	28	10	11	16	18	2

तालिका क्रमांक 3.2.3 बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन हेतु जानकारी प्राप्त होने का विवरण(बहुविकल्पीय)

(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–21) (बहुविकल्पीय)

उत्तरदाता	सर्वे द्वारा	एन.जी.ओ./ सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा	शिकायत प्राप्त होना	स्थानीय ग्रामीण	मीडिया द्वारा	अन्य
जिला श्रम पदाधिकारियों द्वारा	48%	67%	38%	24%	10%	14%
	10	14	8	5	2	3
(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–34) (बहुविकल्पीय)						
गैर सरकारी संगठनों के द्वारा	24%	–	41%	29%	24%	–
	8	–	14	10	8	–

तालिका क्रमांक 3.2.4 चिन्हांकन हेतु सर्वे किये जाने की स्थिति

उत्तरदाता	हाँ	नही
जिला श्रम पदाधिकारियों द्वारा	52%	48%
गैर सरकारी संगठनों के द्वारा	60%	40%

तालिका क्रमांक 3.2.5 चिन्हांकन हेतु समस्याओं का विवरण(बहुविकल्पीय)

(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–23) (बहुविकल्पीय)

उत्तरदाता	गलत जानकारी प्राप्त होना	शासन द्वारा सहयोग प्राप्त न होना	नियोजक द्वारा सहयोग न करना	बंधक श्रमिक द्वारा मर्जी से कार्य किए जाने को स्वीकार करना	पुलिस सहायता पूर्ण रूप से प्राप्त न होना
जिला श्रम पदाधिकारियों द्वारा	96%	–	30%	52%	4%
	22	–	7	12	1
(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–32) (बहुविकल्पीय)					
गैर सरकारी संगठनों के द्वारा	28%	53%	69%	66%	13%
	9	17	22	21	4

भाग –3.3बंधक श्रमिकों की नियोजकों से विमुक्ति प्रक्रिया की स्थिति

तालिका क्रमांक 3.3.1 बंधक श्रमिकों के विमुक्ति हेतु मदद् का विवरण (बहुविकल्पीय)

(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–56) (बहुविकल्पीय)

स्वयं के प्रयास से	शासन द्वारा	गैर सरकारी संगठन	ग्रामीण मित्र/सामाजिक कार्यकर्ता
43%	68%	52%	46%
24	38	29	26

तालिका क्रमांक 3.3.2 विमुक्ति हेतु आई समस्याओं का विवरण(बहुविकल्पीय)

(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–24) (बहुविकल्पीय)

नियोजक द्वारा सहयोग न करना	बंधक श्रमिक द्वारा अपनी मर्जी से कार्य किए जाने को स्वीकार करना	पुलिस सहायता पूर्ण रूप से प्राप्त न होना
79%	79%	13%
19	19	3

तालिका क्रमांक 3.3.3 विमुक्ति उपरांत तत्काल राहत हेतु सहायता का विवरण(बहुविकल्पीय)

(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–56) (बहुविकल्पीय)

उत्तरदाता/ हितग्राही	विमुक्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कराना	स्वास्थ्य परीक्षण कराना	पुलिस अभिरक्षा प्रदान कराना	जीवन निर्वाह हेतु राशी रू 20,000/– प्रदान कराना	बंधक श्रमिक को उसके निवास स्थान भेजने की व्यवस्था कराना
उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के द्वारा	86%	63%	59%	46%	54%
	48	35	33	26	30
(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–29) (बहुविकल्पीय)					
जिला श्रम पदाधिकारियों द्वारा	97%	76%	62%	52%	62%
	28	22	18	15	18

भाग –3.4 बंधक श्रमिकों के पुनर्वास प्रक्रिया की स्थिति

तालिका क्रमांक 3.4.1 बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु प्राप्त शासकीय मदद् का विवरण

हाँ	नही
41%	59%

तालिका क्रमांक 3.4.2 विमुक्त कराये गयें बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सहायता का विवरण (बहुविकल्पीय)

(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–48) (बहुविकल्पीय)

उत्तरदाता/ हितग्राही	आवास की व्यवस्था	परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल	बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था	अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करवाना	रोजगार की व्यवस्था	वित्तीय मदद अंतर्गत बैंक खाता खुलवाया गया
उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के द्वारा	13%	27%	71%	–	23%	33%
	6	13	34	–	11	16
(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–29) (बहुविकल्पीय)						
जिला श्रम पदाधिकारियों द्वारा	76%	79%	72%	79%	55%	34%
	22	23	21	23	16	10
(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–30) (बहुविकल्पीय)						
गैर सरकारी संगठनों के द्वारा	17%	30%	33%	83%	60%	50%
	5	9	10	25	18	15

तालिका क्रमांक 3.4.3 बंधक श्रमिकों को शासन की योजनाओं हेतु जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का विवरण (बहुविकल्पीय)

(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–50) (बहुविकल्पीय)

आधार कार्ड	अंत्योदय राशन कार्ड	समग्र आई.डी.	बी.पी.एल. कार्ड	जाति प्रमाण पत्र	मनरेगा जॉब कार्ड	वोटर कार्ड
90%	26%	36%	30%	82%	66%	38%
45	13	18	15	41	33	19

तालिका क्रमांक 3.4.4 बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु आ रही समस्याओं का विवरण (बहुविकल्पीय)

(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–24) (बहुविकल्पीय)

उत्तरदाता	सहायता राशि उपलब्ध नही होना	आजीविका के साधन उपलब्ध कराने में देरी	आवास उपलब्ध कराने में देरी	योजनाओं का लाभ प्राप्त करवाने में देरी
जिला श्रम पदाधिकारियों के द्वारा	33%	83%	25%	46%
	8	20	6	11
(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–33) (बहुविकल्पीय)				
गैर सरकारी संगठनों के द्वारा	–	79%	61%	85%
	–	26	20	28

भाग –3.5 उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के वर्तमान की स्थिति

तालिका क्रमांक 3.5.1 पुनर्वास पश्चात् बंधक श्रमिकों के जीवनयापन के स्त्रोत का विवरण (बहुविकल्पीय)

(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–56) (बहुविकल्पीय)

मजदूरी	पशुपालन	कृषि कार्य
91%	18%	14%
51	10	8

तालिका क्रमांक 3.5.2 पुनर्वास पश्चात् स्वंय के आवास की स्थिति

हाँ	नही
86%	14%

तालिका क्रमांक 3.5.3 पुनर्वास पश्चात् समस्याओं का विवरण(बहुविकल्पीय)

(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–56) (बहुविकल्पीय)

सामाजिक सहयोग प्राप्त न होना	रोजगार न मिलना	आजीविका का साधन न मिलना
68%	88%	68%
38	49	38

भाग –3.6 सतर्कता समितियों के कार्यो का विवरण

तालिका क्रमांक 3.6.1 जिले में सतर्कता समितियों के गठन की स्थिति

हाँ	नही
76%	24%

तालिका क्रमांक 3.6.2 सतर्कता समितियों की नियमित बैठकों की स्थिति

उत्तरदाता	हाँ	नही
जिला श्रम पदाधिकारियों के द्वारा	69%	31%
सतर्कता समिति के सदस्यों के द्वारा	60%	40%

तालिका क्रमांक 3.6.3 सतर्कता समिति की बैठकों मे सदस्यों की भागीदारी की स्थिति

हाँ	नही
80%	20%

तालिका क्रमांक 3.6.4 सतर्कता समितियों द्वारा किये गये कार्यो का विवरण

विवरण	चिन्हांकन हेतु नियमित सर्वे	प्रप्त शिकायत की जाँच	वित्तीय मदद्	हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ	रोजगार मूलक योजनाओं का लाभ	कोर्ट प्रकरण की प्रतिरक्षा तथा निगरानी करना
हाँ	70%	80%	65%	85%	65%	67%
नही	30%	20%	35%	15%	35%	33%

भाग –3.7 कोर्ट प्रकरणों की स्थिति

तालिका क्रमांक 3.7.1 बंधक श्रमिकों के नियोजको के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण (बहुविकल्पीय)

(प्रतिशत/उत्तरदाताओं की संख्या–21) (बहुविकल्पीय)

नियोजकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करना	न्यायालय में प्रकरण दायर किया जाना	प्रकरण का निरंतर फोलोअप करना
76%	62%	76%
16	13	16

भाग –3.8 बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु प्रयास

तालिका क्रमांक 3.8.1 बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की स्थिति

हाँ	नही
38%	62%

तालिका क्रमांक 3.8.2 बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति हेतु किये गये प्रयासों की स्थिति (बहुविकल्पीय)

(प्रतिशत / उत्तरदाताओं की संख्या–27) (बहुविकल्पीय)

उत्तरदाता	निरतंर सर्वे किया जाना	जन जागरण हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाना	पैम्पलेट, पोस्टर, वॉल कलेण्डर आदि द्वारा प्रचार–प्रसार किया जाना
जिला श्रम पदाधिकारियों के द्वारा	56%	93%	63%
	15	25	17
(प्रतिशत / उत्तरदाताओं की संख्या–17) (बहुविकल्पीय)			
सतर्कता समिति के सदस्यों के द्वारा	82%	71%	71%
	14	12	12
(प्रतिशत / उत्तरदाताओं की संख्या–33) (बहुविकल्पीय)			
गैर सरकारी संगठनों के द्वारा	48%	88%	55%
	16	29	18

भाग –3.9 शासन द्वारा विमुक्ति एवं पुनर्वास के प्रयासों से संतुष्टी की स्थिति

तालिका क्रमांक 3.9.1 शासन द्वारा विमुक्ति एवं पुनर्वास के प्रयासों से संतुष्टी की स्थिति

हाँ	नही
29%	71%

परिशिष्ट–2

अध्ययन से संबंधित फोटोग्राफ

जिला सागर

श्रम निरिक्षक से साक्षात्कार

उन्मुक्त बंधक श्रमिकों के लिए शासन की योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जरूरी दस्तावेज बनाये जाना

उन्मुक्त बंधक श्रमिक से साक्षात्कार

स्वयं सेवी संगठन के सदस्य से साक्षात्कार

सतर्कता समिति के सदस्य से साक्षात्कार

सतर्कता समिति के सदस्य से साक्षात्कार

जिला गुना

उन्मुक्त बंधक श्रमिक से साक्षात्कार

जिला मुरैना

उन्मुक्त बंधक श्रमिक से साक्षात्कार

विमुक्ति प्रमाण–पत्र

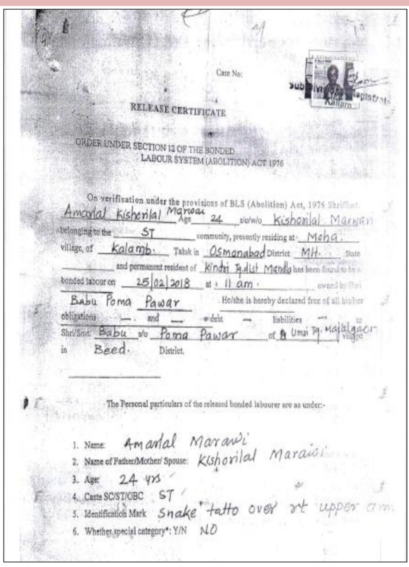

Case No:

RELEASE CERTIFICATE

ORDER UNDER SECTION 12 OF THE BONDED LABOUR SYSTEM (ABOLITION) ACT 1976

On verification under the provisions of BLS (Abolition) Act, 1976 Shri/Smt. Amarlal Kishorilal Marwai Age 24 s/o/w/o Kishorilal Marwai belonging to the ST community, presently residing at Moha. village, of Kalamb. Taluk in Osmanabad District MH. State and permanent resident of Kindri Tq.dist Mandla has been found to be a bonded labour on 25/02/2018 at 11 am. owned by Shri Babu Poma Pawar. He/she is hereby declared free of all his/her obligations — and — debt — liabilities — to Shri/Smt. Babu s/o Poma Pawar of Umri Tq. Majalgaon village in Beed. District.

The Personal particulars of the released bonded labourer are as under:-

1. Name: Amarlal Marawi
2. Name of Father/Mother/ Spouse: Kishorilal Marawi
3. Age: 24 yrs
4. Caste SC/ST/OBC ST
5. Identification Mark Snake tatto over rt upper arm
6. Whether special category*: Y/N NO

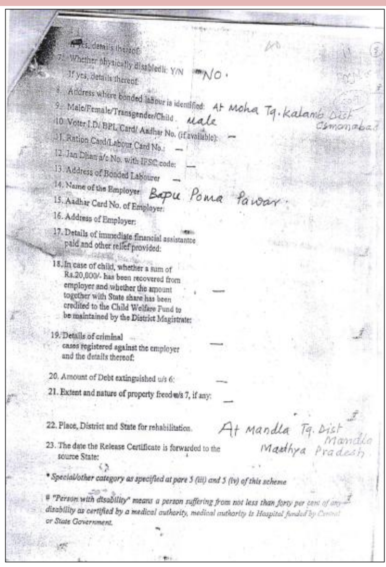

If yes, details thereof:
7. Whether physically disabled#: Y/N NO.
If yes, details thereof:
8. Address where bonded labour is identified: At Moha Tq. Kalamb Dist Osmanabad
9. Male/Female/Transgender/Child: Male
10. Voter I.D/ BPL Card/ Aadhar No. (if available): —
11. Ration Card/Labour Card No.: —
12. Jan Dhan a/c No. with IFSC code: —
13. Address of Bonded Labourer —
14. Name of the Employer Bapu Poma Pawar.
15. Aadhar Card No. of Employer:
16. Address of Employer:
17. Details of immediate financial assistance paid and other relief provided:
18. In case of child, whether a sum of Rs.20,000/- has been recovered from employer and whether the amount together with State share has been credited to the Child Welfare Fund to be maintained by the District Magistrate: —
19. Details of criminal cases registered against the employer and the details thereof: —
20. Amount of Debt extinguished u/s 6: —
21. Extent and nature of property freed u/s 7, if any: —
22. Place, District and State for rehabilitation. At Mandla Tq. Dist Mandla Madhya Pradesh
23. The date the Release Certificate is forwarded to the source State:

* Special/other category as specified at para 5 (iii) and 5 (iv) of this scheme

"Person with disability" means a person suffering from not less than forty per cent of any disability as certified by a medical authority, medical authority is Hospital funded by Central or State Government.

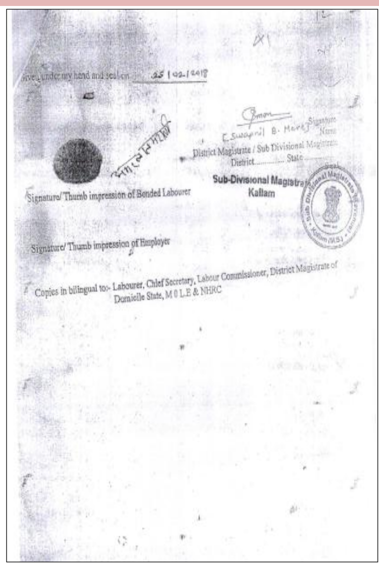

Given under my hand and seal on 25/02/2018

Signature/ Thumb impression of Bonded Labourer

[Swapnil B. More] Signature Name
District Magistrate / Sub Divisional Magistrate
District........ State........
Seal
Sub-Divisional Magistrate Kallam

Signature/ Thumb impression of Employer

Copies in bilingual to:- Labourer, Chief Secretary, Labour Commissioner, District Magistrate of Domicile State, M 0 L.E & NHRC

जिला छतरपुर

उन्मुक्त बंधक श्रमिक से साक्षात्कार

जिला बुरहानपुर

उन्मुक्त बंधक श्रमिक से साक्षात्कार

उन्मुक्त बंधक श्रमिक से साक्षात्कार

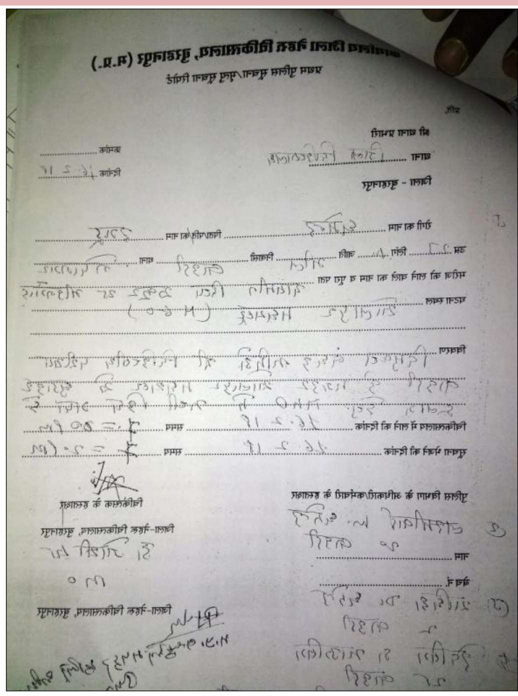

उन्मुक्त बंधक श्रमिक की स्वास्थ्य परिक्षण रिपोर्ट